जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
(डी0पी0ई0पी0–III)
जनपद बागेश्वर

संशोधित कार्ययोजना

वर्ष 2000–01 से 2005–06

अनुक्रमणिका

अध्याय 1 - जनपद परिचय

अध्याय 2 - शैक्षणिक परिदृश्य

अध्याय 3 - जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम - नियोजन प्रक्रिया

अध्याय 4 - जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की उपलब्धि

अध्याय 5 - आवश्यकतायें एवं रणनीतियाँ

अध्याय 6 - परियोजना प्रबन्धन एवं दक्षता संवर्धन

अध्याय 7 - प्रस्तावित कार्यक्रम एवं बजट

जनपद एक दृष्टि में

1.	तहसीलों की संख्या	-	02
2.	विकासखण्डों की संख्या	-	03
3.	न्याय पंचायतों की संख्या	-	35
4.	ग्राम पंचायतों की संख्या	-	363
5.	राजस्व ग्रामों की संख्या	-	898
6.	आबाद राजस्व ग्राम	-	846
7.	गैर आबाद राजस्व ग्राम	-	48
8.	वन ग्रामों की संख्या	-	04
9.	नगर क्षेत्र	-	01
10.	डिग्री कालेजों की संख्या	-	01
11.	राजकीय इण्टर कालेज (बालक)	-	20
12.	राजकीय बालिका इण्टर कालेज	-	03
13.	अशासकीय मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज	-	14
14.	राजकीय हाईस्कूल	-	17
15.	राजकीय बालिका हाईस्कूल	-	01
16.	मान्यताप्राप्त हाईस्कूल	-	09
17.	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय(बालक)	-	55
18.	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय(बालिका)	-	09
19.	मान्यताप्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय	-	16
20.	राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल	-	01
21.	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	-	567
22.	मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय	-	55
23.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	-	01
24.	ब्लाक संसाधन केन्द्र	-	03
25.	संकुल संसाधन केन्द्र	-	35
26.	जनपद का क्षेत्रफल	-	2286 वर्ग किमी0
27.	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या(अनुमानित)-		पु0 म0 118202 131251 कुल - 249453
28.	जनपद की साक्षरता का प्रतिशत(अनुमानित)	-	पु0 म0 सम्पूर्ण 88.56 57.45 71.94
29.	जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत	-	25 प्रतिशत

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – कार्ययोजना

जनपद – बागेश्वर

जनपद का परिचय

(अ) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि –

1. जनपद की स्थापना – जनपद बागेश्वर पूर्व में अल्मोड़ा जनपद की एक तहसील मात्र थी। सितम्बर 1997 में इसको एक अलग जनपद के रूप में स्थापित किया गया तथा दो तहसील बागेश्वर एवं कपकोट भी साथ-साथ ही स्थापित किये गये।

2. पौराणिक एवं धार्मिक स्थल – पुराणों में बागेश्वर को उत्तर की काशी के नाम से संबोधित किया गया है। स्कन्द पुराण में "बागीश्वर महात्म्य" में इस नगर का विस्तृत वर्णन किया गया। कहा जाता है कि भगवान शंकर को बागेश्वर की अलौकिकता एवं प्राकृतिक सौन्दर्य ने मोह लिया था और वह देवी पार्वती सहित बागेश्वर में रम गये थे। भगवान शिव वशिष्ठ मुनि के माध्यम से ही सरयू को हिमालय से यहां लाये थे। मार्कण्डेय ऋषि की तपस्या के कारण सरयू के प्रवाह में बाधा आने के कारण ऋषि मार्कण्डेय की ध्यानावस्था को भंग करने के उद्देश्य से भगवान शिव को व्याघ्र का रूप धारण करना पड़ा, फलस्वरूप इस स्थान का नाम व्याघ्रेश्वर, कालान्तर में बागेश्वर हो गया।

कहते हैं कैलाश यात्रा करते समय यहां पाण्डवों का पड़ाव पड़ा था और पाण्डवों ने ही यहां की रमणीकता को देखते हुए सरयू-गोमती संगम पर भगवान शंकर के मंदिर 'बागनाथ' की नींव डाली थी। बाद में चन्द व कत्यूरी राजाओं के समय में इन मंदिरों को बृहद स्वरूप दिया गया जो पुरातन पाषाण कला की अद्भुत एवं दर्शनीय कृति है।

इसके अतिरिक्त बैजनाथ (गरुड़) में कत्यूरी शासकों द्वारा निर्मित मंदिर धार्मिक महत्व के अतिरिक्त पुरातात्विक शिल्पकला का अद्भुत तथा उत्कृष्ट धरोहर है।

(ब) भौगोलिक परिदृश्य –

1. विस्तार – जनपद बागेश्वर पूर्व में जनपद अल्मोड़ा का एक तहसील मात्र था। सितम्बर 1997 में तैयार जनपद के रूप में अस्तित्व में आया। इसका विस्तार $20^0 50'$ से $30^0 18'$ अक्षांश $79^0 29'$ से $80^0 08'$ देशान्तर के मध्य है।

2. सीमा – जनपद के पूर्व में पिथौरागढ़, पश्चिम में चमोली/अल्मोड़ा तथा दक्षिण में अल्मोड़ा जनपद है। उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलायें इसे तिब्बत(चीन) से पृथक करती हैं। जनपद का क्षेत्रफल 2286 वर्ग किलोमीटर है।

3. प्राकृतिक भाग – जनपद का अधिकतर भाग पर्वतीय है। उत्तर में नन्दादेवी पर्वत (7822 फीट) तथा नन्दाकोट (7865 फीट) आदि प्रमुख पर्वत श्रृंखलायें हैं। समुद्रतल से न्यूनतम ऊँचाई 960 मीटर तथा अधिकतम 1850 मीटर पर अवस्थित जनपद में पिण्डारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर प्रमुख एवं सुरम्य ग्लेशियरों में से है। बागेश्वर, गरुड़ एवं पुंगराऊ आदि प्रमुख नदी घाटियाँ है।

4. प्रमुख नदियाँ – सरयू एवं गोमती दो प्रमुख नदियों के अतिरिक्त पुंगर, लाहुर एवं कौरवगंगा जैसी छोटी परन्तु महत्वपूर्ण अनेक नदियाँ हैं जो क्षेत्र की कृषि भूमि पर सिंचाई के लिए उपयोगी हैं। विकास से वंचित के कारण इन नदियों का अन्य उपयोग नगण्य है।

5. जलवायु एवं मौसम – पर्वतीय एवं हिमालय के नजदीक होने के कारण पर्वतीय भागों में जाड़ों के मौसम में अत्यधिक ठण्ड व चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। घाटी वाले भागों में गर्मियों में अधिक गर्मी तथा जाड़ों में अधिक ठण्ड रहती है। हिमालयी क्षेत्र होने के कारण वर्षा भी काफी होती है। घाटी एवं पर्वतों से मिश्रित भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ का तापमान 0-4 डिग्री सेल्सियस से 34.2 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता हैं।

6. जनसंख्या घनत्व – पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण छितरी बस्तियां एवं आबादी काफी कम है। अधिकतर आबादी नदी-घाटी के किनारों में बसी है। इन किनारों को सेरा भी कहा जाता है। जनपद का कुल जनसंख्या घनत्व 108 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है तथा परिवार का औसत आकार 4.6 व्यक्ति हैं।

(स) सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य –

1. पहनावा – कभी यहां पर पुरुषों के लिए मर्दाना धोती, कुर्ता एवं महिलाओं में घाघरा एवं अंगिया का आम पहनावा था परन्तु वाह्य सांस्कृतिक प्रभाव के कारण उक्त स्थानीय प्रचलित वेश-भूषा/वस्त्रों का प्रायः लोप हो गया है तथा सामान्य उत्तर भारतीय पहनावा ही यहां के पुरुषों व महिलाओं में देखने को मिलता है। 99 प्रतिशत कुमाऊँ की सामान्य जाति की जनसंख्या के कारण पहनावे में भिन्नता देखने को नहीं मिलती है।

2. खान–पान – खान-पान में भी कोई विविधता देखने को नहीं मिलती है। दिन में एक बार चावल का भोजन यहां की जीवन का अभिन्न अंग है। 80 प्रतिशत जनता मांसाहारी है तथा 95 प्रतिशत बकरे के गोश्त का सेवन करते है। सामाजिक बुराईयों एवं सैनिक सेवा में अधिक पुरुषों के होने के कारण शराब की काफी खपत देखने को मिलती है।

3. रीति–रिवाज – 99 प्रतिशत हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण हिन्दुओं के सभी

रीति-रिवाज, शादी-विवाह आदि सामान्य रूप से निर्वाह किये जाते हैं। दहेज प्रथा पूर्व में नगण्य या कहीं-कहीं लड़की पक्ष की तरफ प्रवाह था अब इसका प्रभाव यहां भी देखने को मिलता है। फिर भी आम ग्रामीण जीवन में लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में सामान्य स्तर है। सभी हिन्दू त्यौहारों को धूम-धाम से मनाया जाता है।

4. महिलाओं की स्थिति – यद्यपि महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्राप्त हैं फिर भी सामाजिक कुरीतियों के कारण उनका जीवन कठिन अवश्य है। घर एवं कृषि से सम्बन्धित कार्यों का 75 प्रतिशत कार्य महिलाओं द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है।

5. भाषा एवं बोली – बागेश्वर जनपद कुमाऊँ मण्डल का एक भाग होने के कारण यहां भी कुमाउंनी बोली का प्रचलन है परन्तु जनपद का कुछ भाग गढ़वाल मण्डल के चमोली जनपद से जुड़ा होने के कारण गढ़वाल सीमा से लगी क्षेत्रों में गढ़वाली एवं कुमाऊँ की मिश्रित बोली का प्रचलन है। कपकोट ब्लाक क्षेत्र के मल्ला दानपुर पट्टी के लोगों में अपभ्रंश कुमाउंनी बोली जाती है जिसमें स्थानीय बोली का प्रयोग होता है। स्थानीय भाषा में इसे दानपुरी भाषा भी कहा जाता है। सम्पर्क भाषा हिन्दी ही है जो शिक्षा-शिक्षण का माध्यम भी है।

6. लोकगीत एवं लोकनृत्य – यहां के जनजीवन में लोकगीतों एवं लोकनृत्यों का काफी महत्व है। यहां के विकट प्राकृतिक संरचना के कारण जीवन निर्वाह काफी कठिन है परन्तु स्थानीय लोकगीतों एवं लोकनृत्यों ने लोक जीवन में समरसता आयी है। जीवन के प्रत्येक पक्ष में लोकगीतों एवं लोकनृत्यों का काफी प्रचलन है। कुमाउंनी नृत्य के साथ छोलिया नृत्य काफी प्रसिद्ध है। स्थानीय वाद्य यंत्र जैसे - हुड़का, दमवा आदि का प्रत्येक समारोह/त्यौहारों में प्रयोग आवश्यक है। यहां के लोक गायक/लोक कलाकारों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्धि पायी हैं।

(द) आर्थिक स्थिति – जनपद बागेश्वर पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों के अपेक्षा तलुनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसी कारण प्राथमिक शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य तथा लघु उद्योगों विशेषकर ऊन, ताँबा और लोहे पर आधारित उद्योग, इलैक्ट्रॉनिक और पर्यटन पर आधारित उद्योग आदि को समेकित विकास के लिए जनपद में पर्याप्त संभावनाएं हैं। इनसे शिक्षा प्रसार व रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर जनसंख्या अपनी दैनिक उपयोग के लिए वनों पर निर्भर है। इस कारण वृक्षारोपण, वनों का संरक्षण, वनों की आग से सुरक्षा, भूस्खलन तथा पानी संरक्षण के लिए जनता को जागरूक करने की अत्यन्त आवश्यकता है। यह

स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा तथा पर्यटन को बढ़ावा देगा जिसके कारण स्थानीय लोगों का आर्थिक स्तर सुधरेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रयास बागेश्वर जनपद के विकास में सहायक नहीं होंगे क्योंकि जनपद बागेश्वर का भौगोलिक पृष्ठभूमि विषम है।

उपलब्ध संसाधन

I. प्राकृतिक संसाधन –

(अ) **वन सम्पदा –** जनपद का तीन चौथाई भाग वनों से ढका है। हिमालय के 1500 मीटर से अधिक ऊचाई वाले भागों में देवदार, बाँज, चीड़ आदि नुकीले पत्तियों वाले वृक्ष पाये जाते हैं। अधिक बर्फ वाले स्थानों में छोटी-छोटी झाड़ियां एवं घास के मैदान (बुग्याल) के पठारी भाग हैं जबकि निचले व घाटी क्षेत्र में साल, पीपल, बरगद आदि वृक्ष पाये जाते है। चीड़ के पेड़ों से लीसा व तारपीन का तेल तथा इमारती लकड़ी आदि का उत्पादन किया जाता है।

(ब) **कृषि –** पर्वतीय क्षेत्र में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि न होने के कारण अधिकतर लोगों का व्यवसाय नौकरी व व्यापार है। यहाँ प्रत्येक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति भारतीय सेना में कार्यरत है तथा आर्थिक ढांचा भी मनीआर्डर प्रणाली पर निर्भर है फिर भी नदी-घाटियों के किनारे कुछ उपजाऊ भूमि है जिसमें मुख्य रूप से धान, मक्का, जौ, गेहूँ आदि की फसल पैदा की जाती है। पहाड़ी व ढलान भूमि पर मानसून के मौसम में मडुवा, माजिरा, चौलाई आदि उगाई जाती है।

उपयोगानुसार भूमि का विवरण

क्र0सं0	विभाजन का प्रकार	क्षेत्रफल (हे0)	क्षेत्र का प्रतिशत
1	वन क्षेत्र	73960.8	40.65
2	कृषि भूमि	35082.8	19.28
3	गैर आबाद क्षेत्र	72877.2	40.07
4	सिंचित भूमि	506.0	-
	कुल क्षेत्रफल	181920.8	100

(स) **खनिज –** यहाँ खनिज सम्पदा का अपार भंडार है। तांबा, मैग्निसाइट, सीमेन्ट, साफ्ट स्टोन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जबकि दोहन केवल मैग्निसाइट व साफ्ट स्टोन का ही हो रहा है। साफ्ट स्टोन का खदान यहां के प्रमुख व्यवसाय का रूप ले रहा है परन्तु वैज्ञानिक दोहन के अभाव में यह कभी भी प्राकृतिक विपदा का रूप ले सकता है।

(द) **पशु –** ऊँचे हिमालय के तलहटी में निवास करने वाले लोगों का भेड़ पालन व ऊन उत्पादन मुख्य व्यवसाय है। इसके अलावा कृषि के कार्य में सहयोग देने वाले व जीवनोपयोगी पशु गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं का भी पालन किया जाता है। दूरस्थ बेहड़ स्थानों में साज-सामान के ढुलान हेतु घोड़ों का प्रयोग किया जाता है।

2. मानव निर्मित भौतिक संसाधन –

(अ) **सड़कें –** जनपद के तहसील व ब्लाक मुख्यालय सड़क मार्ग से जुड़े है किन्तु सुदूर ग्रामीण क्षेत्र अभी भी सड़क सुविधा से वंचित है। तहसील कपकोट के 90 प्रतिशत गांवों में पहुंच पाना आज भी कठिन है। यहां 30 से 40 किमी0 की पैदल यात्रा आज भी लोग करते है। जनपद के सड़कों की कुल लम्बाई लगभग 350 किमी0 मात्र है। इसे से अंदाज लगाया जा सकता है कि जनपद आज भी विकास से कितने दूर है।

(ब) **बिजली –** जनपद में अगर देखा जाय तो अन्य विकास कार्यो के अपेक्षा बिजली उपलब्धता में काफी संतोषजनक कार्य हुआ है। जनपद की 80 प्रतिशत आबादी को बिजली उपलब्ध है। शेष भाग में बिजली के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा द्वारा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। जनपद में उरेडा कार्यालय स्थापित है।

(स) **पेयजल –** जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय तथा विकासखण्ड मुख्यालय को छोड़कर शेष ग्रामीण क्षेत्र अभी भी प्राकृतिक स्त्रोतों पर पेयजल सुविधाओं के लिए निर्भर हैं। यद्यपि जल निगम/जल संस्थान द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए जो आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं वे काफी उत्साहवर्धक होते हैं परन्तु वास्तविकता ये है कि जहां जल निगम द्वारा नल बिछाये गये हैं उनमें पानी नहीं रहता है तथा पानी का वितरण भी असमान है जिस कारण ग्रामीण जनता को पानी के लिए काफी कठिनाई सहनी पड़ती है और दूरस्थ स्थानों में उपलब्ध जल स्त्रोतों से ही पानी लेने को मजबूर होते हैं।

(द) **चिकित्सालय –** जनपद में मात्र एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागेश्वर में स्थित है। इसमें भी चिकित्सकों की कमी के कारण जनपद के मरीजों के लिए अल्मोड़ा अथवा हल्द्वानी का रूख करना आवश्यक हो जाता है। जनपद में यूं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काफी संख्या में हैं लेकिन चिकित्सकों के अभाव में वीरान पड़े हुए हैं। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए नियुक्त ए.एन.एम. भी कभी कभार ही इन केन्द्रों में देखने को मिलती हैं।

(य) **थाना –** जनपद में बागेश्वर, बैजनाथ एवं झिरौली(काफलीगैर) कुल तीन थाने स्थापित

हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में 2 पुलिस चौकी काण्डा एवं कपकोट में स्थापित है।

(र) तहसील – जनपद बागेश्वर दो तहसीलों बागेश्वर और कपकोट में बँटा है। बागेश्वर तहसील में विकासखण्ड बागेश्वर एवं गरूड़ शामिल हैं। विकासखण्ड कपकोट तहसील कपकोट के अन्तर्गत हैं।

(ल) प्रमुख पर्यटक एवं धार्मिक स्थल– जनपद में पर्यटक एवं धार्मिक स्थल का विवरण निम्न प्रकार है -

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	स्थल	विकासखण्ड मुख्यालय से दूरी	जनपद मुख्यालय से दूरी	विशिष्टताएं
1	2	3	4	5	6
1	बागेश्वर	1.बागेश्वर	0 किमी0	0 किमी0	भगवान शिव की क्रीड़ा स्थली व बागनाथ जी का पौराणिक मंदिर। कुमाऊँ से कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन केन्द्र बिन्दु के रूप में ऐतिहासिक स्थल। प्रमुख व्यापारी मेला हेतु प्रसिद्ध
		2.सूरजकुण्ड	0 किमी0	1 किमी0	ऋषि मार्कण्डेय की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध
		3.झिरौली (काफलीगैर)	35 किमी.	35 किमी.	मैग्निसाइट खदान व मैग्नीसाइट प्लांट हेतु प्रसिद्ध
2	कपकोट	1.पिण्डारी	60 किमी.	90 किमी.	पिण्डारी ग्लेशियर के लिए प्रमुख पर्यटक स्थल एवं पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध
		2.शामा	30 किमी.	60 किमी.	प्रमुख पर्यटक स्थल
		3.नाकुरी	40 किमी.	40 किमी.	साफ्ट स्टोन खदान का प्रमुख स्थल
3	गरुड़	1.कौसानी	12 किमी.	40 किमी.	प्रमुख पर्यटक स्थल, पं0 सुमित्रा नन्दन पंत की जन्मस्थली
		2.बैजनाथ	1 किमी.	22 किमी.	कत्यूरी शासकों द्वारा निर्मित मंदिर समूह, प्रमुख धार्मिक स्थल
		3.कोटभ्रामरी	5 किमी.	25 किमी.	प्रमुख धार्मिक स्थल, कत्यूरी शासकों की राजधानी
		4.ग्वालदम	25 किमी.	45 किमी.	जनपद चमोली में स्थित गरुड़ विकासखण्ड से जुड़ा प्रमुख पर्यटक स्थल

(व) उद्योग–धन्धे – औद्योगीकरण के क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र के अपेक्षा इस जनपद में काफी कम प्रयास हुए हैं। जनपद में वर्तमान समय में जो उद्योग स्थापित हैं उनका स्वरूप कुटीर उद्योग के रूप में है जिनका विवरण निम्न प्रकार है -

I. ताम्र उद्योग – जनपद के लघु/कुटीर उद्योगों में ताम्र बर्तन बनाने का उद्योग मुख्य रूप

से संचालित है। यह उद्योग पारिवारिक तथा एक जाति विशेष द्वारा अधिग्रहीत है। इसमें मुख्य रूप से कुमाऊँ में दैनिक प्रयोग के बर्तन जैसे गागरी, चावल बनाने वाले हांडी (तौली), पराद, लोटा, पानी का फिल्टर आदि एवं देवी-देवताओं की मूर्ति बनायी जाती है। इस उद्योग में टम्टा जाति(अनुसूचित जाति) का आधिपत्य है।

2. रिंगाल उद्योग – जनपद के दानपुर पट्टियों में रिंगाल-उद्योग काफी फल-फूल रहा है। यहां रिंगाल की चटाइयां, टोकरी एवं बोझा ढोने की बास्केट (डोका) विशेष रूप से बनाये जाते हैं। उत्तरायणी मेले में इनका थोक रूप में व्यवसाय किया जाता है। आधुनिकता का कुप्रभाव भी इस व्यवसाय पर पड़ रहा है।

3. ऊन उद्योग – विकासखण्ड कपकोट के ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़-पालन मुख्य व्यवसाय है जिसमें मांस के अतिरिक्त ऊन उपलब्ध किया जाता है तथा अनुसूचित जनजाति के द्वारा उनका प्रयोग ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। जनपद में जनजाति के लगभग 15-20 गांव है जिसमें जनपद की जनसंख्या का 2 प्रतिशत आबादी निवास करती है। उनका मुख्य धन्धा ही भेड़-पालन व ऊन व्यवसाय है।

4. दुग्ध उद्योग – जनपद में दुधारू पशुपालन भैंस एवं गाय काफी प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं से दूध उत्पादन किया जाता है तथा संकलन कर दुग्ध समितियों द्वारा डेरी में उपलब्ध कराया जाता है। जनपद के लगभग सभी गांवों में दुग्ध समितियां स्थापित है। जनपद में मात्र एक डेयरी फार्म विकासखण्ड बागेश्वर के कमेड़ी में स्थापित है।

5. मैग्नासाइट उद्योग – जनपद में विकासखण्ड बागेश्वर(ताकुला) के झिरौली स्थान में मैग्नेसाइट फैक्ट्री कार्य कर रही है जिसमें खदान द्वारा उपलब्ध कच्चा माल को संशोधित किया जाता है।

(ड) **शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति –** जनपद में केवल एक डिग्री कालेज, 42 इण्टर कालेज, 25 हाईस्कूल, 83 पू0मा0वि0, 566 प्रा0वि0 तथा एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया जा रहा है।

प्राथमिक विद्यालय/ई0जी0एस0/ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का विवरण

क्र0सं0	विद्यालय की श्रेणी	विद्यालयों/केन्द्रों की संख्या				
		परिषदीय	राजकीय	मान्यताप्राप्त	अशा0सहा0प्राप्त	महायोग
1	2	3	4	5	6	7
1	प्राथमिक विद्यालय	567	–	56	–	623
2	ई0जी0एस0 (विद्या केन्द्र)	–	50	–	–	50
3	ई0सी0सी0ई0	–	185	–	–	185

उच्च प्राथमिक विद्यालय/हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का विवरण

क्र0 सं0	विद्यालय का प्रकार	परिषदीय/राजकीय			सहायता प्राप्त			मान्यताप्राप्त			कुल		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	उच्च प्राथमिक विद्यालय	55	09	64	06	—	06	12	—	12	73	09	82
2	हाईस्कूल	17	01	18	05	—	05	04	—	04	26	01	27
3	इण्टरमीडिएट	20	03	23	14	—	14	—	—	—	34	03	37
	योग	**92**	**13**	**105**	**25**	**–**	**25**	**16**	**–**	**16**	**133**	**13**	**146**

निर्माण कार्य

वर्ष	बी0आर0सी0		एन.पी.आर.सी.		नवीन विद्यालय		पुनर्निर्माण		अतिरिक्त कक्षाकक्ष		शौचालय		पेयजल	
	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण
2000–01	03	03	15	15	20	20	17	17	30	30	150	150	—	—
2001–02	—	—	20	20	05	02	10	10	70	70	—	—	150	—
2002–03	—	—	—	—	07	01	—	—	08	07	—	—	—	—
2003–04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

प्रशासनिक स्वरुप

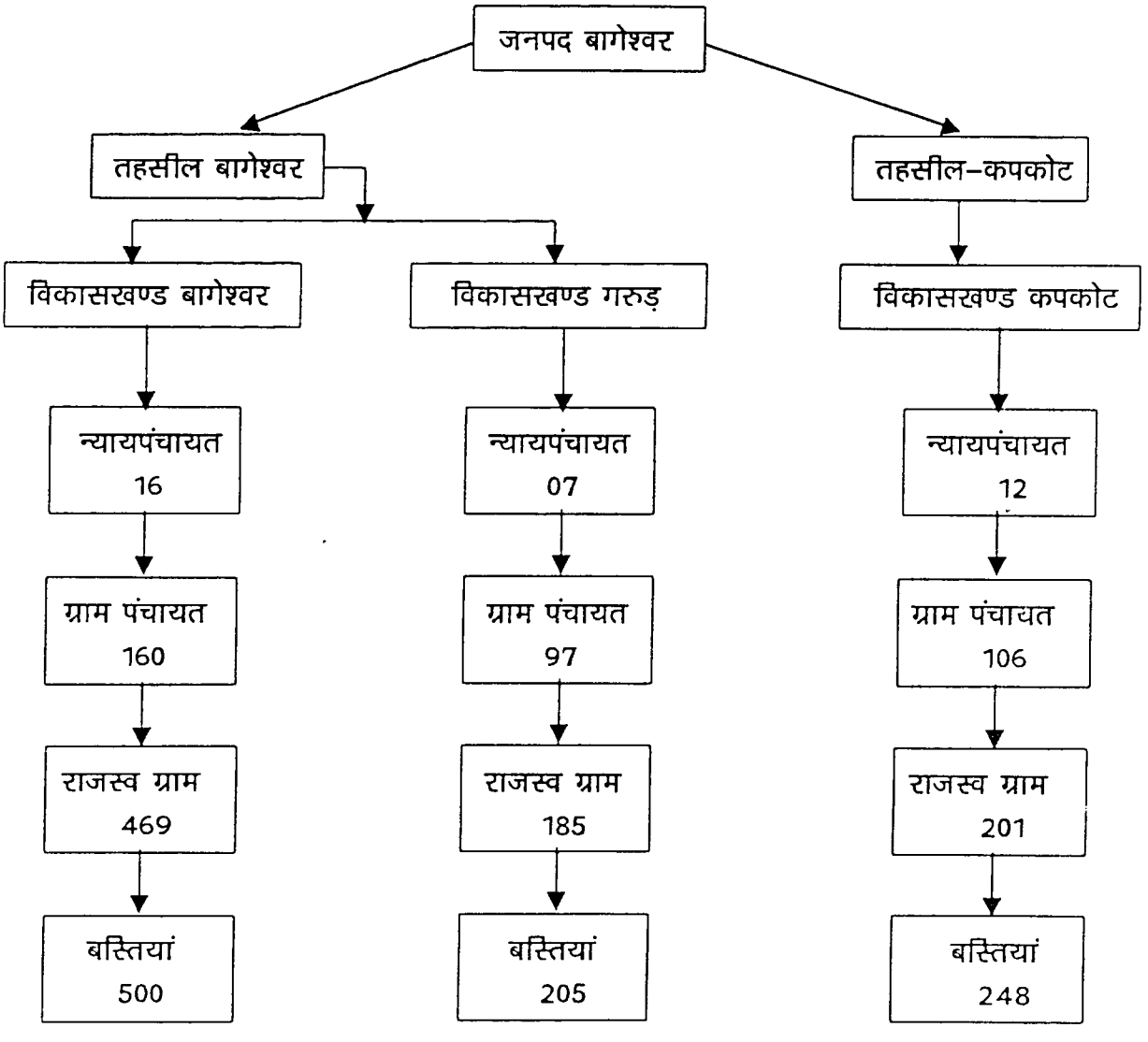

प्रशासनिक स्वरुप एवं अधिकारी

क्र0सं0	प्रशासनिक स्वरूप	प्रशासनिक अधिकारी, पदनाम	प्रमुख जनप्रतिनिधि
1	जनपद	जिलाधिकारी	जिला पंचायत अध्यक्ष
2	तहसील	उपजिलाधिकारी	–
3	विकासक्षेत्र	विकासखण्ड अधिकारी	क्षेत्र प्रमुख
4	न्याय पंचायत	ग्राम पंचायत अधिकारी	–
5	ग्राम पंचायत	–	ग्राम पंचायत अध्यक्ष(ग्राम प्रधान)
6	बस्तियां	–	–
7	नगर क्षेत्र	अधिशासी अधिकारी	नगरपालिका अध्यक्ष

जनपद में विकास की संभावनाएं

जनपद में अभी तक विकास की धुंधली किरणें ही पहुंची हैं। अभी इस जनपद को प्रदेश/देश के पिछड़े जनपदों में ही गिना जा रहा है। इसमें यदि समुचित एवं नियोजित विकास के कार्य किये जायं तो विकास की अतुल सम्भावनाएं हैं। जनपद प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। जनपद का 60 प्रतिशत भूभाग जंगलों से आच्छादित है। अत: इसे प्राकृतिक सम्पदा से सम्पन्न कहा जा सकता है।

(अ) **खनिज उद्योग –** जनपद में साफ्ट स्टोन, सीमेन्ट एवं ताम्र के तत्व बहुतायत में उपलब्ध हैं। अत: इन पर आधारित उद्योग खोले जाएं तो इनके लिए कच्चे माल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो जायेगी।

(ब) **काष्ठ उद्योग –** जनपद के 60 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं। यदि वनों का वैज्ञानिक दोहन तथा काष्ठ उद्योग लगाया जाय तो जनपद के विकास में मील का पत्थर साबित होगा तथा क्षेत्र से बेरोजगारी भी काफी हद तक दूर की जा सकती है।

(स) **सड़कों का विस्तार –** जनपद का 75 प्रतिशत क्षेत्र अभी भी सड़कों से छूटा है। यदि सड़कें बनाई जाय तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में फलोत्पादन का विस्तार हो सकता है जिससे जनपद को राजस्व की आय प्राप्त हो सकती है। सड़कों व बाजार के अभाव में उक्त फलों का सदुपयोग नहीं हो रहा है।

(द) **ऊनी वस्त्र उद्योग –** सुविधाओं की कमी, बाजार का दूर होना, प्रशिक्षण का अभाव के कारण इस कुटीर उद्योग में लगे लोगों का पलायन हो रहा है। यदि उक्त

कमी को सरकार द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाय तो उद्योग रोजगार के लिए हितकर हो सकता है।

(य) साक्षरता – 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता 44.70 जिसमें पुरुषों की 67.20 तथा महिलाओं की 32.7 प्रतिशत थी। जबकि 2001 की जनगणना अनुसार जनपद की 71.94 प्रतिशत है। जिसमें पुरुषों की 88.50 तथा महिलाओं की 57.45 प्रतिशत साक्षरता है। यह एक काफी सन्तोषजनक परिणाम कहा जा सकता है। जिस उद्देश्य को लेकर जनपद में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रावधान रखा गया है उसे हासिल करने में काफी सफलता मिली है।

(ब) जनसंख्यात्मक सांख्यिकीय –

जनसंख्या – वर्ष 2001 के सर्वेक्षण के अनुसार जनपद की जनसंख्या 2,49,453 है जिनमें 1,18,202 पुरुष तथा 1,31,251 महिलायें हैं। महिला अनुपात पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। कुल साक्षरता 71.94 प्रतिशत है जबकि महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 67.45 तथा पुरुषों का प्रतिशत 88.56 है। अनुसूचित जाति का अनुपात कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत है।

विकास खण्डवार एवं जातिवार जनसंख्या (1991)

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बागेश्वर	45489	48714	94230	13062	12641	25703	120	111	231
2	कपकोट	34463	35944	74467	7246	4282	11528	617	689	1306
3	गरुड़	27710	29990	57700	7097	7405	14502	38	22	60
	योग	107662	114648	222310	27405	24328	51733	775	822	1597

स्रोत - सांख्यिकी पत्रिका

शैक्षिक परिदृश्य

(3) आमुख – किसी भी योजना का नियोजन यदि क्षेत्र विशेष की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामयिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर तैयार किया जाय तो लक्ष्य की प्राप्ति में सरलता होती है। शिक्षा की सार्वभौमीकरण/सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनपद की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामयिक परिस्थितयों की जानकारी लेना आवश्यक है तभी हम सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं।

I. साक्षरता दर – वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 71.94 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 88.56 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 67.45 प्रतिशत है जबकि वर्ष 1991 की जनणनानुसार साक्षरता का प्रतिशत निम्न तालिकानुसार है -

कुल साक्षरता का प्रतिशत

क0सं0	वर्ग	साक्षरता दर प्रतिशत में	
		1991	2001
1	पुरुष	67.20	88.50
2	महिला	32.70	57.45
	योग	44.70	71.94

स्रोत - अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय ।

उपर्युक्त तालिका को देखकर स्पष्ट हो जाता हैं कि जनपद की साक्षरता में पिछले दशक में उल्लेखनीय सुधार/वृद्धि हुई है। जहां पुरुषों के साक्षरता में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, महिलाओं की साक्षरता में दुगने से भी अधिक वृद्धि हुई है।

विकासखण्ड वार साक्षरता का प्रतिशत (1991 की जनगणना के अनुसार)

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	साक्षरता दर प्रतिशत में			
		योग	पुरूष	महिला	जेण्डर गेप
1	बागेश्वर	49.13	64.79	34.52	30.27
2	कपकोट	37.70	56.47	19.71	36.76
3	गरूड़	45.72	63.7	29.02	34.68

तहसीलवार साक्षरता का प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) अनुमानित

क्र0सं0	तहसील का नाम	साक्षरता दर प्रतिशत में			
		योग	पुरूष	महिला	जेण्डर गेप
1	बागेश्वर	74.44	90.34	60.60	29.74
2	कपकोट	66.23	84.52	50.24	34.28

2. छात्र संख्यानुसार विद्यालयों का वर्गीकरण – जनपद के अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों की छात्र संख्या 100 से कम है जबकि परिषदीय उ0प्रा0वि0 में 30 प्रतिशत तथा माध्यमिक विद्यालयों में 70 प्रतिशत विद्यालयों की छात्र संख्या 100 से ऊपर है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि जनपद की भौगोलिक स्थिति विषम व आबादी बिखरी हुई है। प्राकृतिक बाधायें एवं जनसंख्या का घनत्व काफी कम है। निम्न सारणी से छात्र संख्यानुसार विद्यालयों का वर्गीकरण स्पष्ट किया जा सकता है।

छात्र संख्या-वर्गानुसार विद्यालयों की संख्या

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	0-20 छात्र संख्या वाले विद्यालयों की संख्या	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141 से ऊपर	योग
1	बागेश्वर	24	91	61	24	10	12	02	06	230
2	कपकोट	26	67	56	30	10	07	02	03	201
3	गरुड़	13	37	36	22	14	08	03	03	136
	योग	63	195	153	76	34	27	07	12	567

स्रोत - बी0एस0ए0 कार्यालय ।

3. प्रबन्धानुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति – प्रबन्धानुसार जनपद में संचालित बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं का विवरण निम्न प्रकार है -

विकास खण्डवार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय			पूर्व माध्यमिक विद्यालय							
					परिषदीय				अशासकीय सहायता प्राप्त			राजकीय
		परिषदीय	मान्यताप्राप्त	योग	बालक	बालिका	क्रमोत्तर	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बागेश्वर	230	32	262	26	06	01	33	02	–	02	01 आश्रम पद्धति
2	कपकोट	201	12	213	27	01	01	29	01	–	01	–
3	गरुड़	136	11	147	12	03	–	15	03	–	03	–
	योग	567	55	622	65	10	02	77	06	–	06	01

4. नामांकन (बालगणना) – जनपद में मई–जून 2003 में बालगणना की गई। बालगणना के अनुसार 0–14 वय वर्ग एवं विकलांगता के संदर्भ में 6–18 वय वर्ग के बच्चों का वर्गानुसार बालगणना की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है –

जनपद में 0–6 तक बालक/बालिकाओं का विवरण

विकास क्षेत्र का नाम	वय वर्गवार बच्चों की संख्या					
	0–3 वय वर्ग			3+–5 वय वर्ग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7
बागेश्वर	4135	3641	7776	2744	2347	5091
कपकोट	3382	3153	6535	2240	2206	4446
गरुड़	2345	2054	4399	1640	1558	3198
योग	9862	8848	18710	6624	6111	12735

बालगणना –(6–14 वय वर्ग के बच्चों का विवरण)

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	बागेश्वर	7903	7734	15637	3899	3810	7709
2	कपकोट	6293	6440	12733	2947	2641	5588
3	गरुड़	5050	4902	9952	2632	2526	5158
	योग	19246	19076	38322	9478	8977	18455

6–14 वय वर्ग के विद्यालय जाने/न जाने वाले बच्चों का विवरण

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	स्कूल जाने वाले बच्चों का विवरण						स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण					
		6–11 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग			6–11 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बागेश्वर	7899	7727	15626	3893	3746	7639	04	07	11	06	64	70
2	कपकोट	6276	6405	12681	2921	2510	5431	17	35	52	26	131	157
3	गरुड़	5047	4897	9944	2627	2505	5132	03	05	08	05	21	26
	योग	**19222**	**19029**	**38251**	**9441**	**8761**	**18202**	**24**	**47**	**71**	**37**	**216**	**253**

चूकि जनपद में कुल 6–11 वय वर्ग बालक बालिकाओं मे से केवल 71 बालक/बालिकाए ऐसी हैं जो नामांकन से वंचित हैं। इन बालक/बालिकाओं में अधिकतर ने कभी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है जिसका कारण उनकी विकलांगता है।

वर्गानुसार बालगणना

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	वर्ग का नाम	जनसंख्या			6–11 वय वर्ग के कुल बच्चे			11–14 वय वर्ग के कुल बच्चे		
			पु0	म0	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	बागेश्वर	कुल	54133	53231	107364	7903	7734	15637	3893	3746	7639
		अनु0जाति	14752	15741	30493	2627	2740	5367	1320	1044	2364
		अनु0जनजाति	117	113	230	14	19	33	3	12	15
2	कपकोट	कुल	43156	42292	85446	6293	6440	12733	2947	2641	5588
		अनु0जाति	9696	8986	18682	1636	1562	3198	748	626	1374
		अनु0जनजाति	834	807	1641	94	96	190	37	45	82
3	गरुड़	कुल	33700	33011	66711	5050	4902	9952	2632	2526	5158
		अनु0जाति	8435	6825	15260	1540	1536	3076	737	649	1386
		अनु0जनजाति	04	09	13	0	0	0	02	01	03
	महायोग	कुल	130989	128534	259521	19246	19076	38322	9472	8913	18385
		अनु0जाति	32883	31552	64435	5803	5838	11641	2805	2319	5124
		अनु0जनजाति	955	929	1884	108	115	223	42	58	100

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ग का नाम	6–11 वय वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चे			11–14 वय वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चे			6–11 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चे			11–14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चे		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	बागेश्वर	कुल	7899	7727	15626	3893	3746	7639	04	07	11	06	64	70
		अनु. जाति	2625	2739	5364	1320	1026	2346	02	01	03	0	18	18
		अ.ज.जा.	14	19	33	03	12	15	0	0	0	0	0	0
2	कपकोट	कुल	6276	6405	12681	2921	2510	5431	17	35	52	26	131	157
		अनु. जाति	1634	1551	3185	733	577	1310	07	11	18	15	49	64
		अ.ज.जा.	94	96	190	37	45	82	0	0	0	0	0	0
3	गरुड़	कुल	5047	4897	9944	2627	2505	5132	03	05	08	05	21	26
		अनु. जाति	1538	1535	3073	732	642	1374	02	01	03	05	07	12
		अ.ज.जा.	0	0	0	02	01	03	0	0	0	0	0	0
	महायोग	कुल	19222	19029	38251	9441	8761	18202	24	47	71	37	216	253
		अनु. जाति	5797	5825	11622	2785	2245	5030	11	13	24	20	74	94
		अ.ज.जा.	108	115	223	42	58	100	0	0	0	0	0	0

विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक संख्या

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय				उच्च प्राथमिक विद्यालय		
		प्र0अ0	स0अ0	योग	कार्यरत शिक्षा मित्र	प्र0अ0	स0अ0	योग
1	बागेश्वर	177	238	415	28	26	123	149
2	कपकोट	101	152	253	74	18	96	114
3	गरुड़	72	116	188	34	10	56	66
	योग	350	506	856	136	54	275	329

स्वीकृत पदों के सापेक्ष पी0टी0आर0

क्र0 सं0	विद्यालय स्तर	कुल स्वीकृत अध्यापकों की पद संख्या	स्वीकृत शिक्षामित्रों के पदों की संख्या	योग(अध्यापक+ शिक्षा मित्र) स्वीकृत पद	छात्र संख्या	स्वीकृत पदों के सापेक्ष पी.टी. आर.
1	प्रा0वि0	1366	154	1520	29010	1:23

कार्यरत पदों के सापेक्ष विकास खण्डवार पी0टी0आर0

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय					
		कुल प्रा0वि0 की संख्या	कुल छात्र संख्या (परिषदीय)	कुल कार्यरत संख्या			पी0टी0आर0
				अध्यापक	शिक्षामित्र	योग	
1	बागेश्वर	230	11438	415	28	443	1:25
2	कपकोट	201	9881	253	74	327	1:30
3	गरुड़	136	7691	188	34	222	1:34
	कुल	567	29010	856	136	992	1:29

जनपद की रिटेंशन रेट की स्थिति

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष 1999–2000	वर्ष 2000–2001	वर्ष 2001–2002	वर्ष 2002–2003	वर्ष 2003–2004
1	रिटेंशन दर	85 प्रतिशत	92 प्रतिशत	99 प्रतिशत	99.5 प्रतिशत	99.8 प्रतिशत
2	विद्यालय न जाने वाले बच्चे	387	206	153	149	71

विकास खण्डवार जी0ई0आर0 का विवरण

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	कक्षा 1 से 5 तक की छात्रसंख्या का विवरण			6–11 वय वर्ग के अध्ययनरत कुल बच्चों की संख्या	जी0ई0आर0 प्रतिशत
		परिषदीय	मान्यताप्राप्त/अमान्य/के. मा.शि.प.	योग		
1	बागेश्वर	11438	4199	15637	15626	100.07
2	कपकोट	9881	2852	12733	12681	100.41
3	गरूड़	7691	2261	9952	9944	100.08
	योग	**29010**	**9312**	**38322**	**38251**	**100.18**

विकास खण्डवार एन0ई0आर0 का विवरण

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	6–11 वय वर्ग के नामांकित बच्चों की संख्या	एन0ई0आर0 प्रतिशत में
1	बागेश्वर	15626	15637	99.92
2	गरूड़	12681	12733	99.59
3	कपकोट	9944	9952	99.91
	योग	38251	38322	99.80

विकास खण्डवार जी0ए0आर0 का विवरण

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	कुल बस्तियों की संख्या	सेवित बस्तियो की संख्या	जी0ए0आर0 प्रतिशत में
1	बागेश्वर	500	455	91.0
2	गरूड़	205	201	98.0
3	कपकोट	248	230	92.7
	योग	953	886	93.0

शालात्यागी बच्चों का दर (ड्रापआउट) – जनपद के कुल 6–11 के बच्चों में से 99 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं। शेष में से अधिकतर बच्चे विकलांगता, आर्थिक व पारिवारिक कारणों से विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सके। बहुत कम बच्चे लगभग 0.85 प्रतिशत बच्चे ही ऐसे

हैं जिन्होंने विद्यालय में प्रवेश के बाद अनिवार्य शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ दिया हैं।

असेवित बस्तियाँ – जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के तहत मई/जून 2002 में जनपद के शैक्षिक सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक बस्ती का सर्वेक्षण किया गया। जनपद के कुल वस्तियों में से 67 बस्तियां प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा से वंचित है। इन वस्तियों को शैक्षिक सुविधा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में 15 प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2005-06 से खोलने हेतु प्रस्तावित किये गये थे परन्तु सर्व शिक्षा अभियान के स्वीकृत कार्ययोजना एवं बजट में केवल 10 विद्यालय खोलने की अनुमति प्राप्त हुई है। अत: बाकी बची बस्तियों को सेवित करने के लिए इस कार्ययोजना में 05 प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं।

असेवित बस्तियाँ (प्राथमिक स्तर)

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	कुल बस्तियां	प्राथमिक विद्यालयों से सेवित बस्तियों की संख्या	प्राथमिक विद्यालयों से असेवित बस्तियों की संख्या	नवीन प्रा0वि0 से सेवित	ई0जी0एस0/ ए0एस0 से सेवित
1	2	3	4	5	6	7
1	बागेश्वर	509	457	52	48	04
2	कपकोट	248	238	10	07	03
3	गरुड़	205	200	05	01	04
	योग	962	895	67	56	11

उपलब्ध कक्षा-कक्षनुसार भवनों की प्रा0वि0 की संख्या

क्र0सं0	विवरण	प्रा0वि0 स्तर पर कुल विद्यालय	प्रतिशत
1	भवनहीन	-	-
2	ध्वस्त विद्यालय (जीर्ण-शीर्ण)	10	1.80
3	एक कक्षीय	-	-
4	दो कक्षीय	454	81.6 प्रतिशत
5	तीन कक्षीय	97	17.2 प्रतिशत
6	तीन कक्षों से अधिक	07	1.2 प्रतिशत
	योग	567	100 प्रतिशत

विद्यालय भवन स्थिति

क्र0सं0	स्थिति विवरण	प्राथमिक विद्यालय		अभ्युक्ति
		विद्यालय संख्या	प्रतिशत	
1	भवनहीन	-	-	
2	ध्वस्त विधालय (जीर्ण-शीर्ण)	10	1.76	
3	मरम्मत योग्य	141	24.86	
4	अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता	15	2.65	
5	शौचालय	150	26.45	

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि जिले के 567 प्राथमिक विद्यालयों में 10 विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 27 ध्वस्त प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण किया गया परन्तु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी. ई.पी. ।।।) के प्रारम्भ के बाद भूस्खलन एवं भूकम्प के कारण अनेक विद्यालय पुन: ध्वस्त की अवस्था में हैं। 141 प्राथमिक विद्यालय मरम्मत योग्य हैं।

विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं (प्राथमिक विद्यालय)

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	कुल विद्यालयों की संख्या	पेयजल सुविधा से वंचित विद्यालयों की संख्या	शौचालय सुविधा से वंचित विद्यालयों की संख्या	चहारदीवारी से वंचित विद्यालयों की संख्या	जीर्ण-क्षीर्ण विद्यालयों की संख्या	भवनहीन विद्यालयों की संख्या	खेल मैदान से वंचित विद्यालयों की संख्या
1	बागेश्वर	230	146	100	201	04	-	230
2	कपकोट	201	131	96	184	04	-	201
3	गरुड़	136	90	40	130	02	-	136
	योग	567	367	236	515	10	-	567

स्थिति (दूरी) के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की संख्या

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	ग्राम में	1 किमी. से कम	1-3 किमी0	3-5 किमी0	5 से अधिक	योग
1	बागेश्वर	120	101	09	-	-	230
2	कपकोट	138	53	10	-	-	201
3	गरुड़	86	43	07	-	-	136
	योग	344	197	26	-	-	567

विद्यालयों का कोटिकरण – जनपद में वर्तमान तक 567 प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय) एवं 64 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इस समय जनपद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना से आच्छादित है। इस योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों के आदर्श स्कूल की अवधारणा को मूर्तरूप देने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण, शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण, विद्यालयों को भौतिक सुविधाओं से सुसज्जित, शिक्षण अधिगम सामग्री की आपूर्ति, पाठयक्रम व पाठ्य वस्तु का रूचिकर बनाया जाना अनेक पाठय सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन आदि प्रमुख है। इन कार्यक्रमों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु समय-समय पर वीक्षण/निरीक्षण किये जाते रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों का कोटिकरण भी किया जा रहा है ताकि कोटि में दिये गये ग्रेड के अनुसार निम्न ग्रेड प्राप्त विद्यालयों को उच्च ग्रेड में लाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे है। वर्तमान में केवल प्राथमिक स्तर पर ही कोटिकरण किया गया है। भविष्य में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी कोटिकरण संचालित किया जायेगा। कोटिकरण का अनुकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है।

कार्यरत अध्यापक संख्यानुसार विद्यालयों का विवरण प्राथमिक/उ0प्रा0वि0

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	एकल अध्यापकीय विद्यालयों की संख्या	दो अध्यापकीय विद्यालयों की संख्या	तीन अध्यापकीय विद्यालयों की संख्या	चार अध्यापकीय विद्यालयों की संख्या	पाँच अध्यापकीय विद्यालयों की संख्या	छः अध्यापकीय विद्यालयों या अधिक की संख्य	योग
1	बागेश्वर	65	146	10	07	01	-	230
2	कपकोट	135	55	07	04	-	-	201
3	गरुड़	71	61	04	-	-	-	136
	योग	271	262	21	11	01	-	567

भवन-स्थिति के अनुसार विद्यालयों का विवरण

क्र0 सं0	विद्यालय का प्रकार	कुल विद्यालयों की संख्या	जीर्ण-क्षीर्ण भवन	मरम्मत योग्य भवन	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष की आवश्यकता
1	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	567	10	141	15
2	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	70	05	70	23
	योग	637	15	211	62

उपर्युक्त उ0प्रा0वि0 के अतिरिक्त कक्षाकक्ष मरम्मत एवं जीर्ण क्षीर्ण भवनों के पुनर्निर्माण हेतु एस.एस.ए. की कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रावधान रखा गया है।

विकास खण्डवार सेवित/असेवित बस्तियों का विवरण

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	विकासखण्ड में कुल न्याय पंचायत	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल ग्रामों की संख्या	कुल बस्तियों की संख्या	कुल असेवित बस्तियाँ (प्राथमिक शिक्षा)	कुल असेवित बस्तियाँ (उ0प्रा0वि0)
1	बागेश्वर	16	158	469	509	52	44
2	कपकोट	12	102	201	248	10	51
3	गरुड़	07	84	185	205	05	15
	योग	35	344	855	962	67	110

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) –

जनपद की स्थापना सितम्बर 1997 में हुई है। अभी तक पूर्व जनपद अल्मोड़ा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से ही इस जनपद के सम्पूर्ण शैक्षिक प्रशिक्षण कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। इस जनपद के लिए मिनी डायट प्रस्तावित/स्वीकृत है जो निकट भविष्य में संस्थापित किये जाने की संभावना है। भूमि चयन की प्रक्रिया हो रही है। जब तक मिनी डायट बन कर पूर्ण नहीं होता तब तक बी0आर0सी0 बागेश्वर में जनपदीय स्तर के शैक्षिक प्रशिक्षण दिये जा सकते है। बी0आर0सी0 भवन में अपर्याप्त आवासीय स्थान के कारण आवासीय प्रशिक्षण करना कठिन होगा।

मध्यान्ह भोजन (बाल पोषाहार) – यह योजना जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू है। इस योजना से नामांकन वृद्धि में अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है परन्तु कुछ कठिनाईयां भी इसके साथ है। पर्वतीय क्षेत्रों में राशन की दुकानें अधिक दूरी पर होने के कारण दुकान से विद्यालय तक राशन ढुलान में कठिनाई हो रही है। इसके लिए किसी मद का प्रावधान ही नहीं है। कभी-कभी तो अध्यापकों को इसके लिए निजी व्यय करना पड़ रहा है। पर्वतीय/दूरस्थ स्थानों पर जाति-विभेद/छुआछूत इस योजना में रूकावटें पैदा कर रही हैं फिर भी यह योजना बाल शिक्षा के बढ़ावे पर अच्छा प्रभाव डाल रही है।

समाज कल्याण–छात्रवृति – समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के दलित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक) को छात्रवृति प्रदान की जाती है। वितरण हेतु ग्राम शिक्षा समिति एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों व अध्यापकों की सहायता ली जाती है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा – जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सीय सलाह की व्यवस्था की गई है। अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी रिकार्ड को रखने की व्यवस्था भी है परन्तु जनपद में चिकित्सकों की कमी के कारण योजना प्रभावी नहीं हो पा रही है। उपर्युक्त व्यवस्था जनपद के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 6-8 कक्षा के सभी छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी की जानी आवश्यक है।

जिला ग्रामीण विकास समितियां – जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/जवाहर रोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना द्वारा विद्यालय भवन/अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण में 60 प्रतिशत तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा 40 प्रतिशत धनराशि अंशदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों (6-8 कक्षा वाले) के अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण में प्रथम वर्ष केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 85:15 होगा।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – नियोजन प्रक्रिया

योजना समूह – योजना की प्रक्रिया जिले स्तर पर कोर ग्रुप तैयार कर प्रारम्भ किया गया है। कोर ग्रुप की योजना समूह में सम्मिलित किया गया है। योजना समूह को तैयार करने में जिलाधिकारी के आदेशानुसार खण्ड विकास अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियश्रता, सतत शिक्षा के सचिव, समाज के प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षाविद्, स्वयंसेवी संस्थाओं, अध्यापक और प्रतिनिधियों का सहयोग लिया गया। योजना समूह द्वारा नियमित रूप से योजना की प्रगति का अवलोकन व सलाह प्रदान होता रहा तथा तैयार करने वाले ग्रुप व अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की गयी। इसी कारण योजना का प्रारूप निर्धारित समय पर पूर्ण हो सका। कोर ग्रुप को बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा ग्राम, न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं तहसील स्तर पर आयोजित गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं से प्राप्त निष्कर्षों/अनुभवों से अवगत कराया गया। कार्यशालाओं/गोष्ठियों के लिए दूरस्थ विशेष कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले ग्रामों को चुना गया। सर्व शिक्षा अभियान योजना बनाने को विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी को सम्मिलित किया गया परन्तु इस जनपद में जितने भी सदस्य योजना बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं लिया।

कार्यशालायें एवं गोष्ठियां – कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों के माध्यम से सुझाव व अनुभवों को लेकर संग्रह किया गया। बैठकों एवं इन कार्यशालाओं से प्राप्त सुझावों व अनुभवों से योजना को तैयार करने में सहयोग मिला। जनपद स्तर, विकासखण्ड स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर काफी बैठकें आयोजित की गई।

कार्यशालाओं/गोष्ठियों का आयोजन एवं सुझाव

1. राज्य स्तर :

क्र0 सं0	स्थल	अवधि	दिनांक	प्रतिभागियों का विवरण	सुझाव/मुद्दे
1	राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून	3 दिवसीय	17-19 जून 2002	1. अपर परियोजना निदेशक 2. वरिष्ठ विशेषज्ञ परियोजना 3. विशेषज्ञ परियोजना 4. जिला समन्वयक 5. स0वित्त एवं लेखाधिकारी	बजट निर्माण/प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन ।

क्र0 सं0	स्थल	अवधि	दिनांक	प्रतिभागियों का विवरण	सुझाव/मुद्दे
2	राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून	1 दिवसीय	29 जून 2002	1. राज्य परियोजना निदेशक 2. अपर परियोजना निदेशक 3. वरिष्ठ विशेषज्ञ परियोजना 4. स0वित्त एवं लेखाधिकारी 5. जिला समन्वयक	बजट निर्माण/प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन ।
3	राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून	1 दिवसीय	16 अगस्त 2002	1. परियोजना निदेशक 2. वरिष्ठ विशेषज्ञ परियोजना 3. सर्व शिक्षा प्रकोष्ठ के सदस्य 4. वि0बे0शि0 अधिकारी 5. जिला समन्वयक 6. प्रवक्ता डायट	बजट निर्माण/प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन ।
4	राज्य संसाधन केन्द्र देहरादून	3 दिवसीय	3-5 अक्टूबर 2002	1. परियोजना निदेशक 2. वरिष्ठ विशेषज्ञ परियोजना 3. सर्व शिक्षा प्रकोष्ठ के सदस्य 4. वि0बे0शि0 अधिकारी 5. जिला समन्वयक 6. प्रवक्ता डायट	बजट निर्माण/प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन

2. जनपद स्तरीय :

क्र0 सं0	स्थल	अवधि	दिनांक	प्रतिभागियों का विवरण	सुझाव/मुद्दे
1	बी.आर.सी. बागेश्वर	2 दिवसीय	4-5 जुलाई 2002	1. वि0बे0शि0 अधिकारी 2. उप जिला बे0शि0 अधिकारी 3. जिला समन्वयक 4. स0बे0शि0 अधिकारी 5. बी0आर0सी0 समन्वयक 6. एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	परिवार सर्वेक्षण का प्रशिक्षण/कार्ययोजना ।
2	जिला परियोजना कार्यालय बागेश्वर	1 दिवसीय	8 अगस्त 2002	1. वि0बे0शि0 अधिकारी 2. उप जिला बे0शि0अधिकारी 3. स0वित्त एवं लेखाधिकारी 4. जिला समन्वयक 5. स0बे0शि0 अधिकारी 6. प्रति उप विद्यालय निरीक्षक 7. बी0आर0सी0 समन्वयक	पर्सपेक्टिव प्लान निर्माण हेतु रणनीति का निर्धारण ।

क्र0 सं0	स्थल	अवधि	दिनांक	प्रतिभागियों का विवरण	सुझाव/मुद्दे
3	बी.आर.सी. बागेश्वर	1 दिवसीय	13 अगस्त 2002	1. वि0बे0शि0 अधिकारी 2. उप जिला बे0शि0अधिकारी 3. स0वित्त एवं लेखाधिकारी 4. जिला समन्वयक 5. स0बे0शि0 अधिकारी 6. प्रति उप विद्यालय निरीक्षक 7. बी0आर0सी0 समन्वयक 8. एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	परिवार सर्वेक्षण सार बनाने हेतु प्रशिक्षण एवं प्रपत्र वितरण ।

3. बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर :

क्र0 सं0	स्थल	अवधि	दिनांक	प्रतिभागियों का विवरण	सुझाव/मुद्दे
1	बी.आर.सी. गरुड़	1 दिवसीय	12 जुलाई 2002	1. जिला समन्वयक 2. स0बे0शि0 अधिकारी 3. बी0आर0सी0 समन्वयक 4. एन0पी0आर0सी0 समन्वयक 5. अध्यापक	परिवार सर्वेक्षण का प्रशिक्षण एवं प्रपत्र वितरण
2	बी.आर.सी. बागेश्वर	1 दिवसीय	13 जुलाई 2002	1. वि0बे0शि0 अधिकारी 2. उप जिला बे0शि0 अधिकारी 3. जिला समन्वयक 4. स0बे0शि0 अधिकारी 5. प्रति उप विद्यालय निरीक्षक 6. बी0आर0सी0 समन्वयक 7. एन0पी0आर0सी0 समन्वयक 8. अध्यापक	परिवार सर्वेक्षण का प्रशिक्षण एवं प्रपत्र वितरण
3	एन.पी.आर. सी. काण्डा	1 दिवसीय	14 जुलाई 2002	1. जिला समन्वयक 2. बी0आर0सी0 समन्वयक 3. एन0पी0आर0सी0 समन्वयक 4. अध्यापक	परिवार सर्वेक्षण का प्रशिक्षण एवं प्रपत्र वितरण
4	एन.पी.आर. सी. शामा	1 दिवसीय	15 जुलाई 2002	1. जिला समन्वयक 2. बी0आर0सी0 समन्वयक 3. एन0पी0आर0सी0 समन्वयक 4. अध्यापक	परिवार सर्वेक्षण का प्रशिक्षण एवं प्रपत्र वितरण
5	बी.आर.सी. कठपुड़ियाछीना	1 दिवसीय	16 जुलाई 2002	1. जिला समन्वयक 2. बी0आर0सी0 समन्वयक 3. एन0पी0आर0सी0 समन्वयक 4. अध्यापक	परिवार सर्वेक्षण का प्रशिक्षण एवं प्रपत्र वितरण

क्र0 सं0	स्थल	अवधि	दिनांक	प्रतिभागियों का विवरण	सुझाव/मुद्दे
6	बी.आर.सी. कपकोट	1 दिवसीय	18 जुलाई 2002	1. वि0बे0शि0 अधिकारी 2. जिला समन्वयक 3. स0बे0शि0 अधिकारी 4. बी0आर0सी0 समन्वयक 5. एन0पी0आर0सी0 समन्वयक 6. अध्यापक	परिवार सर्वेक्षण का प्रशिक्षण एवं प्रपत्र वितरण
7	प्रा0वि0 पचार (दियाली)	1 दिवसीय	24 जुलाई 2002	1. जिला समन्वयक 2. बी0आर0सी0 समन्वयक 3. एन0पी0आर0सी0 समन्वयक 4. अध्यापक	परिवार सर्वेक्षण का प्रशिक्षण एवं प्रपत्र वितरण

प्राथमिक शिक्षा में प्रभाव डालने वाले सामाजिक कारक –

1. लड़कियों का विद्यालय में नामांकन न हो पाने के निम्नलिखित मुख्य कारक हैं –

- ♦ परिवार की आर्थिक स्थिति का अच्छा न होना ।
- ♦ छोटे भाई-बहनों की देखभाल तथा अन्य घरेलू कार्यों में लगना ।
- ♦ विद्यालय शिक्षा का सदुपयोग न कर पाना ।
- ♦ विद्यालय समय का अनुकूल न होना तथा विद्यालय का दूरस्थ होना ।
- ♦ अध्यापकों की योग्यता में कमी ।
- ♦ मौसम का प्रतिकूल होना ।

परन्तु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कारण पहुँच का समीप व सुलभ होना तथा नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों के कारण लड़कियों के नामांकन में आयातीत वृद्धि हुई है।

2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों का विद्यालय में नामांकन न होने का मुख्य कारण निम्न है –

- ♦ अभिभावकों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते।
- ♦ विद्यालय समय का अनुकूल न होना।
- ♦ विद्यालयों में अध्यापकों की कमी, अभिभावकों की अशिक्षा, शिक्षा की महत्ता का न जानना।
- ♦ उच्च प्राथमिक स्तर के शैक्षणिक संस्थाओं का दूर होना ।

- ♦ कहीं-कहीं जाति भेद के कारण भी इस जाति के बच्चे विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते हैं।

3. विद्यालय छोड़ने के मुख्य कारक (ड्राप आउट) -

- ♦ शिक्षा-व्यय को वहन न कर सकना।
- ♦ घरेलू कार्य में व्यस्त रहना।
- ♦ विद्यालय समय का अनुकूल न होना।
- ♦ अभिभावकों के साथ कृषि व अन्य कार्यों में व्यस्त रहना।
- ♦ भविष्य के लिए शिक्षा महत्व से अनभिज्ञता।
- ♦ पाठ्यक्रम का रूचिकर न होना।
- ♦ शारीरिक विकलांगता के कारण दूरस्थ विद्यालयों में न जा पाना।

4. शारीरिक एवं मानसिक विकलांग यथा मूक-वधिर एवं अस्थि विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए गरुड़ (बागेश्वर) में संचालित स्वयंसेवी संस्था 'ज्ञानार्जन विद्या मंदिर' ने कदम उठाये हैं।

विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं विद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व गरीब बच्चों के ठहराव हेतु निम्न सुझाव प्राप्त हुए हैं।

- ♦ नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें तो उपलब्ध करायी जा रही हैं परन्तु अनु0जांति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क गणवेश भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- ♦ विद्यालयों में ऐसे अध्यापकों को नियुक्त किया जाय जो इसे कार्य धर्म समझ कर मनोयोग से करे।
- ♦ छितरी व कम जनसंख्या वाले वस्तियों में शैक्षिक सुविधा सुलभ कराने के लिए बालशाला तथा इनमें अध्यापन कार्य करने के लिए बालमिक भी नियुक्ति की जाय तथा इसका समय सम्बन्धित वस्ती/ग्राम के बच्चों के सुविधानुसार रखा जाय।
- ♦ लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा यथा- कताई, बुनाई, सिलाई, घरेलू उद्योग, दुग्ध, मुर्गी, भेड़-पालन, कृषि, वागवानी आदि से सम्बन्धित दिया जाय।
- ♦ अध्यापकों का व्यवहार छात्रों के साथ सहयोगी का हो हतोत्साहित करने वाला नहीं। विद्यालय का समय स्थानीय जनता के विचार-विमर्श के बाद उनकी सुविधानुसार रखा जाय।
- ♦ स्थानीय उद्योग-धन्धों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाय।

माह मई/जून 2002 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत द्वार-द्वार सर्वेक्षण किया गया है जिनसे योजना बनाने हेतु विभिन्न सूचनाएं एवं आकंड़े उपलब्ध हुए हैं।

सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया अपनाई गई है। नियोजन को अधिकाधिक जनप्रिय, व्यावहारिक एवं सफल बनाने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विकेन्द्रीकरण किये जाने का लक्ष्य है। ग्राम को सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई मानकर सूक्ष्म नियोजन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि ग्राम समुदाय की स्थानीय आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं पर नियोजन प्रक्रिया को केन्द्रित करते हुए कार्यक्रमों का नियोजन किया जा सके।

<u>नियोजन प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध श्रोतों का उपयोग –</u>

- उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन/समीक्षा ।
- ग्राम स्तरीय विभिन्न आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की जानकारी ।
- विभिन्न शैक्षणिक आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण एवं उनका उपयोग ।
- सामुदायिक चेतना अभियानों से प्राप्त संकेतों का उपयोग ।
- सामुदायिक रूझानों का अनुभव ।
- कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कठिनाईयों का अनुभव ।
- विभिन्न स्तरों पर आयोजित गोष्ठियों, सर्वेक्षणों तथा वी.ई.सी., डी.आर.जी., बी.आर.जी. प्रशिक्षणों से प्राप्त अनुभवों व सुझावों का उपयोग ।
- ई.एम.आई.एस./पी.एम.आई.एस. का उपयोग ।
- डायट से प्राप्त सहयोग एवं परामर्श ।
- विभिन्न विभागों से सम्पर्क एवं समन्वयन ।
- जनपद की भौगोलिक, सामाजिक, शैक्षिक विशेषताओं का उपयोग ।
- डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम से प्राप्त अनुभव ।

अध्याय - 4

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी. – III)

उपलब्धि

प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित 6 जनपदों में से जनपद बागेश्वर भी एक है। प्राथमिक शिक्षा (6-11 वय वर्ग) के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों व उद्देश्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है। 1991 की जनगणनानुसार जनपद की महिला साक्षरता की दर 32.29 प्रतिशत था। इसलिए जनपद को जिला प्राथमिक कार्यक्रम से जोड़ा गया। पूर्व में जनपद अल्मोड़ा का अंग होने के बावजूद इस क्षेत्र की शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं रही। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से उपेक्षित रहा। जबकि जनपद अल्मोड़ा भारत के उच्च साक्षरता वाले जनपदों में से एक है। परन्तु पिछले एक दशक में या ये कहें जनपद में डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम के चलने के बाद साक्षरता की दर में आशातित वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में महिला साक्षरता 57.45 प्रतिशत है।

I. डी.पी.ई.पी. के लक्ष्य एवं उद्देश्य – प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में निम्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रमुखता से स्थान दिया गया है।

1. बालक/बालिकाओं व विभिन्न समाजिक वर्गों के बच्चों के मध्य नामांकन, ड्राप आउट तथा अधिगम सम्प्राप्ति का अन्तर कम कर 5 प्रतिशत तक ले आना।
2. सम्पूर्ण परियोजना काल में सभी बच्चों के शालात्याग की दर को घटाकर कम से कम 10 प्रतिशत तक या धारण क्षमता को कम से कम 90 प्रतिशत तक ले जाना।
3. वर्तमान शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर को बेस लाइन सर्वे में पाये गये स्तर से 25 प्रतिशत तक योजना अवधि में बढ़ाना।
4. भाषायी एवं गणितीय क्षमताओं में न्यूनतम अधिगम स्तर 25 प्रतिशत तथा अन्य विषयों में 40 प्रतिशत की वृद्धि करना।
5. वंचित वर्ग के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था किया जाना।
6. शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों में दक्षता एवं क्षमता का संवर्धन करना।

2. निर्माण कार्य

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे योजना काल में (2002-05) तक 52 नवीन प्राथमिक भवनों का निर्माण किया जाना था। प्रथम वर्ष 2000-01 में 20 नवीन प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण, वर्ष 2001-02 में 05 नवीन प्राथमिक विद्यालय भवनों तथा वर्ष 2002-03 में 07 प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया जाना था जिसमें से 2000-01 तथा 2001-02 के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2002-03 के 07 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य भी 75 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य 31 मार्च 2004 तक पूर्ण हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2000-01 के 17 तथा वर्ष 2001-02 के 10 कुल 27 जीर्ण-क्षीर्ण भवन, 03 बी0आर0सी0, 35 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र, 108 अतिरिक्त कक्ष, 150 शौचालयों का निर्माण कार्य भी पूरा किया जा चुका है और 150 पेयजल संयोजन का कार्य भी किया जा रहा है। वर्तमान में 50 प्रतिशत का कार्य जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है शेष 50 प्रतिशत का आगणन जल संस्थान द्वारा तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। दिसम्बर 2004 तक स्वीकृत प्रत्येक विद्यालय में पेयजल संयोजन सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0 – III)

जनपद – बागेश्वर

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2000-01			वर्ष 2001-02			वर्ष 2002-03			वर्ष 2003-04		
		लक्ष्य	धनराशि	प्रगति	लक्ष्य	धनराशि	प्रगति	लक्ष्य	धनराशि	प्रगति	लक्ष्य	धनराशि	प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बी0आर0सी0				03	24	03						
2	प्रा0वि0भवन निर्माण	20	38.22	20	05	9.55	5	07	13.37	50%	-	-	-
3	पुनर्निर्माण(प्रा0वि0)	17	32.47	17	10	19.10	10						
4	अति0कक्षाकक्ष निर्माण	30	21.00	30	70	49.00	70						
5	एन.पी.आर.सी. भवन	15	10.50	15	20	14.00	20						
6	शौचालय	150	15.00	150									
7	पेयजल संयोजन				150	33.00							

3. बालिका शिक्षा

ई0सी0सी0ई0- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु जनपद में वर्ष 2000-01 में 30 ई0सी0सी0ई0 केन्द्र, वर्ष 2001-02 में 95 ई0सी0ई0सी0 केन्द्र व वर्ष 2002-03 में 60 ई0सी0सी0ई0 केन्द्र के रूप में चयनित किया गया है। जनपद में चयनित सभी 185

ई0सी0सी0ई0 केन्द्र कार्यकत्रियों को प्रशिक्षण देने के बाद ये केन्द्र प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों को खोलने से जहाँ एक तरफ इन केन्द्रों पर 3-6 वय वर्ग के शिशु कहानी, खेल और गीत के माध्यम से पढ़ने-लिखने की तैयार कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इन शिशुओं के देखभाल में लगी बालिकाएं विद्यालय में अध्ययन हेतु आ रही हैं। ई0सी0सी0ई0 केन्द्र के कार्यकत्री एवं सहायिका को परियोजना द्वारा मानदेय, आकस्मिक व्यय एवं सामग्री क्रय हेतु धनराशि नियमित रूप से प्रदान किया जाता है।

विकासखण्ड वार ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की संख्या का विवरण

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की संख्या			
		वर्ष 2000-01	वर्ष 2001-02	वर्ष 2002-03	योग
1	बागेश्वर	11	46	10	67
2	कपकोट	08	39	27	74
3	गरुड़	11	10	23	44
	कुल	30	95	60	185

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों में अध्ययनरत शिशुओं का विवरण वर्षवार

जनपद – बागेश्वर

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	ई0सी0सी0ई0 वर्ष 2000-2001				वर्ष 2001-2002				वर्ष 2002-2003				वर्ष 2003-04			
		केन्द्रों की संख्या	बालक	बालिका	योग	केन्द्रों की संख्या	बालक	बालिका	योग	केन्द्रों की संख्या	बालक	बालिका	योग	केन्द्रों की संख्या	बालक	बालिका	योग
1	बागेश्वर	11	103	122	225	46	517	526	1043	57	656	648	1304	57	646	664	1310
2	कपकोट	08	54	71	125	39	444	489	933	47	514	575	1089	47	501	547	1048
3	गरूड	11	138	168	306	10	214	216	430	21	276	336	612	21	347	355	702
	योग	30	295	361	656	95	1175	1231	2406	125	1446	1559	3005	125	1494	1566	3060

आदर्श संकुल- जनपद में वर्ष 2000-01 में 5 व वर्ष 2001-02 में 10 न्याय पंचायतों को आदर्श संकुल के रूप में चयनित किया गया। इन आदर्श संकुलों में शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ।

बालिका शिक्षा हेतु माडल कलस्टर (आदर्श संकुल)

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	आदर्श न्याय पंचायत का नाम
1	बागेश्वर	1. रवाईखाल 5. पंतगांव 2. आरे 6. देवलधार 3. फल्याटी 7. सैंज 4. सानिउडियार
2	कपकोट	1. हरसीला 4. सूपी 2. असौं 5. शामा 3. कर्मी
3	गरुड़	1. गढ़सेर 3. भिलकोट 2. पिंगलो

ट्रैकिंग- जनपद के 5 आदर्श संकुलों में वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक कक्षा 1 में नामांकित बच्चों व नये वर्ष में पुन: कक्षा 1 में नामांकित बच्चे व अगली कक्षा में प्रवेश करने वाले बच्चों की ट्रैकिंग कराई गई। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2001-02 तक नामांकित बच्चों का संख्यात्मक चक्र के रूप में ट्रैकिंग चार्ट 1 न्याय पंचायत-गढ़सेर में निम्नवत रहा -

वर्ष	कक्षा	छात्र	कक्षा	छात्र	कक्षा	छात्र	कक्षा	छात्र	कक्षा	छात्र
2001-02	5	243	4	237	3	252	2	253	1	248
2000-01	4	277	3	259	2	260	1	260		
1999-2000	3	299	2	267	1	251				
1998-1999	2	318	1	253						
1997-1998	1	326								

उपरोक्त न्याय पंचायत में वर्ष 1997-98 में 326 नामांकित बच्चे प्राथमिक विद्यालय में थे जिनमें से 5 वर्ष बाद 243 बच्चे ही कक्षा 5 में पहुँचे। वर्ष 1998-99 से वर्ष 2001-02 तक विभिन्न कक्षाओं में क्रमश: 67 बच्चे अन्य विद्यालयों में स्थानान्तरित हो गए तथा 15 बच्चे रिपीटर्स के रूप में रहे तथा 1 बच्चे के द्वारा विद्यालय छोड़ दिया गया।

माँ-बेटी मेला- जनपद के आदर्श संकुलों में माँ-बेटी मेलों का आयोजन किया गया। इन माँ-बेटी मेलों में विद्यालय में आने वाली बालिकाओं/बालकों की माताओं व ग्राम समुदाय के जागरूक महिलाओं और पुरुषों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और बालिकाओं की आने वाली समस्याओं पर विचार-विर्मश कर उनकें निवारण का प्रयास ग्राम स्तर पर भी करने का प्रयास किया है।

विकासक्षेत्र	न्याय पंचायत	विद्यालय	दिवस	प्रतिभागी		योग
				महिला	पुरुष	
ताकुला	पंथगाँव	प्रा0वि0 खाँकर	1	300	150	450
ताकुला	देवलधार	प्रा0वि0 देवलधार	1	240	105	355
गरुड़	गढ़सेर	प्रा0वि0 नौघर	1	400	300	700
गरुड़	पिंगलों	प्रा0वि0 मैगड़ीस्टेट	1	370	215	595
कपकोट	हरसीला	प्रा0वि0 हरसीला	1	300	250	550
कपकोट	असौं	प्रा0वि0 असौं	1	260	130	390
भैसियाछाना	सैज	प्रा0वि0 सैज	1	276	115	391

माता-शिक्षक संघ- आदर्श संकुल के प्रत्येक विद्यालय में माता-शिक्षक संघ का गठन किया गया है। प्रत्येक माह में एक बार माता-शिक्षक संघ की बैठक विद्यालय में होती है जिसमें बालक-बालिकाओं के शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है और चर्चा उपरान्त लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन किया जाता है।

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	माता-शिक्षक संघ की संख्या	माता-शिक्षक संघ में सदस्यों की संख्या
1	बागेश्वर	62	620
2	गरुड़	96	960
3	कपकोट	110	1100
4	ताकुला	34	340
5	भैसियाछाना	34	324
	योग	336	3344

महिला प्रेरक समूह- जनपद में विभिन्न विकासखण्डों में महिला प्रेरक समूह का गठन किया गया है। महिला प्रेरक समूह की बैठक प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जाती है।

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	महिला प्रेरक समूह की संख्या
1	बागेश्वर	01
2	कपकोट	08
3	गरुड़	11
	योग	20

कन्वेंजेन्स कार्यशाला- जनपद में विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन 22-05-2001 को किया गया। इस कार्यशाला में जनपद में वालिकाओं की शिक्षा की स्थिति, लिंगभेद आदि विषयों पर चर्चा की गई तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु सुझावों आमंत्रित किये गये।

स्थान	दिवस	प्रतिभागी		
		पुरुष	महिला	योग
कार्यालय विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी बागेश्वर	1	23	18	41

स्रोत - वि0बे0शि0 कार्यालय ।

बाल मेला- जनपद में बाल मेलों का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं सुलेख, बच्चों के द्वारा निर्मित सहायक सामग्री, कविता-पाठ, खेल, अन्ताक्षरी आदि का आयोजन किया गया।

क्रमांक	स्थान	दिनांक
1	प्राथमिक विद्यालय गढ़सेर	24-12-2001
2	प्राथमिक विद्यालय अणा	18-01-2002
3	प्राथमिक विद्यालय सिल्ली	21-01-2002
4	प्राथमिक विद्यालय कनस्यारी	24-01-2002

स्रोत - वि0बे0शि0 कार्यालय ।

सामुदायिक सहभागिता

सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालय मानचित्रण – जनपद के समस्त ग्राम शिक्षा समितियों में सूक्ष्म नियोजन के तहत परिवार सर्वेक्षण, सूचनाओं का संकलन तथा ग्राम शिक्षा योजना तैयार कर ली गई हैं। जिसे प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों और ग्राम के उत्साही युवा व्यक्तियों के माध्यम से तैयार किया गया। जनपद स्तर पर इन ग्राम शिक्षा योजनाओं की समीक्षा का कार्य चल रहा है। आगामी वार्षिक कार्ययोजना के बनाने में इसका सहयोग लिया गया है।

वर्ष 2003–04 एवं वर्ष 2004–05 में 363 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण किया जाना प्रस्तावित है जिसका विवरण वर्षवार निम्न तालिका में दिया गया है।

विभिन्न वर्षों में प्रशिक्षित ग्रा0शि0समितियों का विवरण

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल ग्राम शिक्षा समितियों की संख्या	वर्ष 2000-01 में प्रशिक्षित	प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या	वर्ष 2001-02 में प्रशिक्षित वी0ई0सी0	प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या	कुल प्रशिक्षित वी0ई0सी0	कुल प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या
1	बागेश्वर	160	151	70	1750	81	2025	151	3775
2	कपकोट	106	101	35	875	66	1650	101	2525
3	गरुड़	97	82	45	1125	37	925	82	2050
	योग	**363**	**334**	**150**	**3750**	**184**	**4600**	**334**	**8350**

वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 में प्रस्तावित ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण का विवरण

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल ग्राम शिक्षा समितियों की संख्या	वर्ष 2003-04 में प्रस्तावित	वर्ष 2004-05 में प्रस्तावित वी0ई0सी0
1	बागेश्वर	160	157	90	67
2	कपकोट	106	104	60	44
3	गरुड़	97	92	50	42
	योग	**363**	**353**	**200**	**153**

शैक्षिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (ई0एम0आई0एस0) – प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक कार्यशाला तथा अध्यापकों की पहुंच की सुविधा को ध्यान में रखकर ई0एम0आई0एस0 और विद्यालय कोटिकरण की जानकारी अध्यापकों तक पहुंचाने हेतु जनपद के विभिन्न स्थानों में कुल 7 कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें परिषदीय, मान्यताप्राप्त प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, 6–8 कक्षा वाले माध्यमिक विद्यालय तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। निम्न सारणी के अनुसार ई0एम0आई0एस0 प्रपत्र भरकर जनपद स्तर पर सूचना तैयार की गई जिसका प्रयोग वार्षिक कार्ययोजना में लिया गया।

ई0एम0आई0एस0 पत्र वितरण की स्थिति

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय		माध्यमिक विद्यालय (6–8 कक्षा वाले)		केन्द्रीय मा0शि0प0 द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय
		परिषदीय	मान्यताप्राप्त	परिषदीय	मान्यताप्राप्त	राजकीय	मान्यताप्राप्त	
1	बागेश्वर	233	32	30	07	15	13	01
2	कपकोट	201	13	21	04	17	06	–
3	गरुड़	136	10	13	05	10	03	–
	योग	**567**	**55**	**64**	**16**	**42**	**22**	**01**

उपरोक्त 766 विद्यालयों से ई0एम0आई0एस0 डाटा प्राप्त कर जिले स्तर पर शैक्षिक सूचनाएं संकलन की गई हैं।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण – ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण से समुदाय के दृष्टिकोण परिवर्तन में काफी अन्तर आया है। जहां पूर्व में लोग इन विद्यालयों को सरकारी तथा विद्यालय प्रबन्धन की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देते थे अब विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि पर रूचि लेने लगे हैं। जनपद के कई विद्यालयों में समुदाय द्वारा अतिरिक्त कक्ष, चहारदीवारी, खेल का मैदान, शौचालय, पेयजल व्यवस्था आदि का निर्माण किया गया है। अध्यापक व समुदाय के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण व

सामन्जस्य बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबन्धन समितियों की बैठक में अब लोगों का प्रतिभाग पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा होता हैं। विशेषकर महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई सम्बन्धित कार्यों में रूचि लेने लगी हैं। विद्यालय प्रबन्धन में सुधार हेतु सुझाव व सहयोग देते हैं।

विद्यालय प्रबन्धन समितियां – चूंकि ग्राम शिक्षा समितियों का क्षेत्र/कार्य विस्तृत होने के कारण विद्यालय के प्रबन्धन आदि में प्रभावी नहीं हो पा रही है। अतः इकाई विद्यालय को समुदाय का सहयोग– समन्वयन बढ़ाने के लिए प्रत्येक विद्यालय हेतु विद्यालय प्रबन्धन समितियां बनाई गई हैं। प्रति विद्यालय प्रबन्धन समिति में सदस्यों की संख्या 12 है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समितियों के 12 सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण आगामी वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक वि0 की संख्या	उ0प्रा0वि0 की संख्या	योग	कुल विद्यालय प्रबन्धन समितियां
1	बागेश्वर	230	30	260	260
2	कपकोट	201	21	222	222
3	गरुड़	136	13	149	149
	योग	567	64	631	631

स्कूल चलो अभियान- डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत वर्ष 2000-01 से माह जुलाई से जनपद बागेश्वर में स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2003-04 में स्कूल चलो अभियान का शुभारम्भ जिलाधिकारी द्वारा किया गया जिसमें जिलाधिकारी के अतिरिक्त उपजिलाधिकारी तहसील कपकोट, तहसीलदार कपकोट, क्षेत्र प्रमुख कपकोट, जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं/ छात्र-छात्राओं ने रैली में हिस्सा लिया। प्रत्येक गांव, विकासखण्ड मुख्यालय, जनपद मुख्यालय में रैलियों के अतिरिक्त घर-घर सम्पर्क कर 6-11 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन करने का प्रयास किया। यह काफी सफल रहा। वर्तमान में पूरे जनपद में 6-11 वय वर्ग के केवल 71 बच्चे नामांकन से वंचित हैं। परियोजना अवधि तक वंचित बालक/बालिकाओं को विद्यालय में शत प्रतिशत नामांकन करने का प्रयास किया जा रहा है।

विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण– जनपद के प्रत्येक विद्यालय को इस योजना के तहत रु0 2 हजार प्रतिवर्ष दिया जा रहा है जिससे विद्यालयों का रखरखाव व सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है। इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए सौन्दर्यीकरण प्रतियोगिताएं भी रखी जा रही हैं। विद्यालय के वातावरण निर्माण में इसका अनुकूल प्रभाव पड़ रहा हैं।

5. वैकल्पिक शिक्षा

ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा – जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में 50 विद्या केन्द्र (ई0जी0एस0) संचालित किये जा रहे हैं जबकि डी0पी0ई0पी0 में सम्पूर्ण परियोजना हेतु 69 विद्या केन्द्र स्वीकृत हैं। साथ ही 14 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र भी

परियोजना में स्वीकृत हैं परन्तु जनसंख्या/आबादी का छितरा होना व बस्ती/ग्राम में बच्चों की संख्या ानकानुसार न होने के कारण वैकल्पिक केन्द्र नहीं खुल पाये हैं। यदि सामान्य प्राथमिक विद्यालयों की तरह इन केन्द्रों को भी समाज कल्याण छात्रवृति एवं बाल पोषाहार की सुविधा सुलभ की जाय तो इन केन्द्रों का विकास एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा की अच्छी संभावना है। छितरी बस्तियां एवं मानक को पूरा न कर पाने के कारण प्राथमिक विद्यालयों से वंचित बस्तियां/ग्रामों के लिए यह व्यवस्था वरदान स्वरूप है तथा अध्यापकों के विद्यालयों से नदारद रहने की समस्या का समाधान भी है।

इसी प्रकार की व्यवस्था 11-14 वय वर्ग के उन बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उच्च प्राथमिक स्तर के शैक्षिक संस्थाओं के सरल सुलभ न होने के कारण घर बैठ जाते हैं उनके लिए भी यह व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के तहत की जा रही है। जनपद की स्वयंसेवी संस्थाओं से भी उक्त व्यवस्था के संचालन हेतु आवेदन मांगे जा रहे हैं।

6. प्रशिक्षण

1. बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 का गठन– परियोजना के प्रारम्भ काल में जनपद में 05 ब्लाक संसाधन केन्द्र बनाये गये थे। चूंकि जनपद के निर्माण के समय अल्मोड़ा से 03 पूर्ण विकासखण्ड- बागेश्वर, कपकोट, गरूड़ एवं 02 विकासखण्डों के कुछ हिस्से- ताकुला व भैसियाछाना बागेश्वर में मिलाये गये थे। प्रारम्भ में ताकुला व भैसियाछाना के उपर्युक्त हिस्सों को शैक्षिक दृष्टि से पृथक इकाई मानते हुए अलग-अलग ब्लाक संसाधन केन्द्र प्रस्तावित किये गये थे। 2 वर्ष तक इनमें ब्लाक संसाधन केन्द्र का विधिवत संचालन भी किया गया परन्तु बाद में इन हिस्सों को प्रशासनिक रूप से विकासखण्ड बागेश्वर में सम्मिलित करने के कारण इनकी बी0आर0सी0 भी समाप्त कर दी गयी हैं। इन बी0आर0सी0 भवनों का निर्माण कार्य भी रोक दिया गया है। अत: वर्तमान में केवल 03 बी0आर0सी0 जनपद में संचालित हैं जो परियोजना के समस्त शैक्षिक कार्यो का विद्यालय स्तर पर अनुश्रवण/वीक्षण कर रही हैं।

35 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों में से 15 का निर्माण वर्ष 2000-01 में, शेष 20 का निर्माण कार्य वर्ष 2001-02 में पूरा किया गया।

2. अध्यापक अनुदान– प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण सहयोग एवं अधिगम को सुगम, सुग्राह्य बनाने में सहयोग हेतु शिक्षण सामग्री के निर्माण हेतु रु0 500 प्रति अध्यापक वितरण किया गया है। अध्यापक/अध्यापिकाएं छात्र-छात्राओं के सहयोग से शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर रहे हैं।

3. शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री– अध्यापकों को शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के निर्माण में सहयोग हेतु एन0पी0आर0सी0 एवं बी0आर0सी0 स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। अध्यापकों द्वारा निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री की गुंणवत्ता को बढ़ाने एवं प्रोत्साहित करने हेतु एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 तथा जनपद स्तर पर शिक्षण

अधिगम सामग्री प्रदर्शनी मेला एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें विजयी प्रतिभागी अध्यापक/अध्यापिकाओं को पुरस्कृत किया गया। जनपद के 2 अध्यापकों द्वारा राज्य स्तरीय प्रदर्शनी मेला में प्रतिभाग किया जाता है तथा कई अध्यापक पुरस्कृत भी हुए हैं।

जनपदस्तरीय टी0एल0एम0/टी0एल0ए0 प्रदर्शनी/प्रतियोगिता

क्र. सं.	प्रतिभागी अध्यापक/अध्यापिका का नाम	विद्यालय का नाम	निर्मित टी0एल0एम0/टी0एल0ए0	प्राप्ताकं (प्रस्तुतीकरण सहित)	स्थान
1	श्री केशव दत्त फुलारा	प्रा0वि0पन्तक्वैरालीबागेश्वर	दूरदर्शन,दो का पहाडा,मूखीं की दोस्ती की कहानी	22	
2	श्री राजेन्द्र सिह	प्रा0वि0पन्तक्वैरालीबागेश्वर	गिनती,गुणा ,कहानी	17	
3	कु0 सरिता बर्मा	प्रा0वि0कमोल बागेश्वर	गिनती ,पहाडे,जोड घटाना	22.5	तृतीय
4	श्रीमती पार्वती आर्या	उर्दु मीडियम बागेश्वर	पाचन तन्त्र	6	
5	श्री विनोद कुमार राठौर	प्रा0वि0गुलम	गिनती ,गणित,स्वरों का ज्ञान एवं गणितीय गतिविधियाँ	28	प्रथम
6	श्री दीन दयाल सिंह	प्रा0वि0कर्मी कपकोट	प्रदूषण पर्यावाण से सम्बन्धित	20.5	
7	श्री नरेन्द्र गिरी गोस्वामी	प्रा0वि0रीठाबमनगाँव गरुड	बहुउद्देशीय	25	द्वितीय
8	श्रीमती गोपा जनौटी	प्रा0वि0देवलधार ताकुला	बहुउद्देशीय	25.5	तृतीय
9	हरगोविन्द भट्ट	प्रा0वि0काफलीगैर भैसियाछाना	दिन-रात का माडल	19	
10	कु0प्रीती साह	प्रा0वि0बिर्लोना	स्वरों का चार्ट	7.5	
11	श्री दीवान सिंह	प्रा0वि0रैखोली ताकुला	बहुउद्देशीय	21	
12	श्रीमती इन्दु चन्द	प्रा0वि0अणा	टेलीफोन उपकरण ,पर्यावरण	22	
13	कु0 फिरदास	प्रा0वि0बिमौला गरुड	बीजो का ज्ञान	17	
14	नमिता जोशी	प्रा0वि0वज्यूला गरुड	सूक्ष्मदर्शीययन्त्र	21	
15	राजेन्द्र सिंह	प्रा0वि0बधरी कपकोट	मानचित्र प्रदर्शन	20	
16	श्री प्रताप राम	प्रा0वि0धटगाड भैसियाछाना	कक्षा1 व 2 के लिये भाषा के वर्ण और फ्लशकार्ड		

स्रोत - वि0ब0शि0 कार्यालय ।

4. सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण– वर्ष 2001-02 में जनपद के कुल 967 अध्यापकों को साधन पर आधारित 10 दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त कठिन स्थलों पर आधारित प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। प्रशिक्षित अध्यापकों का विवरण निम्न प्रकार से हैं -

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	कुल कार्यरत अध्यापक संख्या			प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की संख्या			प्रशिक्षण से वंचित अध्यापकों की संख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बागेश्वर	250	162	412	250	162	412	-	-	-
2	कपकोट	195	105	300	195	105	300	-	-	-
3	गरुड़	162	93	255	162	93	255	-	-	-
	योग	607	360	967	607	360	967	-	-	-

5. जिला संदर्भ समूह – जनपद स्तर पर जिला संदर्भ समूह का गठन किया जाता है जिसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के दो सदस्य, जिला समन्वयक, ब्लाक समन्वयक एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए संभ्रान्त अनुभवी कार्यरत एवं अवकाश प्राप्त सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। इस समूह के सदस्यों की संख्या अधिकतम 25 से 30 तक होती है। इस समूह का कार्य शैक्षिक क्षेत्र में आने वाली समस्याओं एवं उनके निदान पर विचार-विमर्श किया जाता है। इनका प्रशिक्षण राज्य स्तर पर अथवा डायट स्तर पर सम्पादित होता है।

6. ब्लाक संदर्भ समूह – इस समूह का गठन ब्लाक स्तर पर किया जाता है। इसमें 25-30 सदस्य चयनित किये जाते हैं। ये सदस्य शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अनुभवी कार्यरत एवं अवकाश प्राप्त शिक्षक होते है। इस समूह का प्रशिक्षण डायट स्तर पर होता है। तदपश्चात ब्लाक स्तरीय बैठक में इनके द्वारा शैक्षणिक मुद्दों को उठाया जाता है और निदान चर्चा-परिचर्चा के द्वारा किया जाता है।

7. ब्लाक समन्वयक एवं न्याय पंचायत समन्वयक प्रशिक्षण – डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम के संचालन हेतु न्याय पंचायत स्तर पर एक समन्वयक एवं ब्लाक स्तर पर एक ब्लाक समन्वयक एवं 02 सह समन्वयक कार्यरत अध्यापकों में से चयनित कर नियुक्त किये जाते है तथा इनको 06 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया जाता है ताकि ये अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों को अकादमिक सहयोग प्रदान कर सकें साथ ही सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में भी प्रतिभाग करते हैं जिससे विद्यालयों के अनुश्रवण करने में इनको सुविधा हो।

8. शिक्षा मित्र एवं आचार्य जी प्रशिक्षण – शिक्षा मित्र एवं आचार्य जी को चयन के उपरान्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से 01 माह का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। जनपद में कुल स्वीकृत 107 शिक्षा मित्र में से 105 शिक्षामित्र एवं 50 आचार्य जी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

9. बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. पर कार्यशाला– प्रतिमाह की चौथे शनिवार को बी.आर.सी. स्तर पर अकादमिक समूह की कार्यशाला आयोजित की जाती है जिसमें एन.पी.आर.सी. समन्वयक, बी.आर.सी. समन्वयक, जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा एक डायट प्रवक्ता (विकासखण्ड प्रभारी) प्रतिभाग करते हैं। कार्यशाला में नामांकन/धारण एवं गुणवत्ता संवर्धन पर आने वाली समस्याओं व उनके निराकरण पर चर्चा होती है। एन0पी0आर0सी0 स्तर की कार्यशालाओं के लिए रोस्टर तैयार किया गया है।

7. समेकित शिक्षा

जनपद बागेश्वर में 6-11 वय वर्ग के बच्चे विकलांगता के आधार पर विद्यालय

नहीं आ पा रहे थे और कुछ बच्चे सामान्य शारीरिक विकलांगता के कारण विद्यालय तो आ रहे थे परन्तु ठीक से ऐसे वच्चों का शिक्षण नहीं हो पा रहा था। इसलिए ऐसे वच्चों हेतु समेकित शिक्षा कार्यक्रम जनपद में चलाया गया। समेकित शिक्षा के तहत जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत वच्चों का सर्वेक्षण विकलांगता के आधार पर कराया गया।

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत प्रथम चरण में निम्नांकित दो विकासखण्डों का चयन किया गया है और 5 मास्टर ट्रेनर्स का चयन अध्यापकों के विकलांगता संवेदीकरण प्रशिक्षण हेतु किया गया है।

विकासखण्ड	न्याय पंचायत	प्रा0वि0 की संख्या	विकलांग बच्चों की संख्या	विकलांगता का प्रकार				
				अस्थि	मूकबधिर	श्रवण	दृष्टि	अन्य
बागेश्वर	16	230	30	05	13	0	1	11
गरुड़	07	136	46	03	16	07	06	14

स्रोत - वि0बे0शि0 कार्यालय ।

8. नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण- गतवर्ष की भांति ही इस वर्ष भी सभी वर्ग की वालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को परियोजना द्वारा नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रदत्त/स्वीकृत धनराशि से नि:शुल्क पुस्तकों का वितरण हुआ। इस योजना के तहत छात्र/छात्रायें इस योजना से लाभान्वित हुए।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों मे नि:शुल्क पाठ्य पुस्तको का बितरण वर्ष 2001-2002

कक्षा	कुल नामांकित छात्र/छात्रायें								कुल बालक बालिका
	बालक				बालिका				
	सामान्य	अनु0जाति	जनजाति	योग	सामान्य	अनु0जाति	जनजाति	योग	
1	1794	1218	12	3024	2311	1323	13	3647	6671
2	1932	1191	10	3133	2265	1257	16	3538	6671
3	1686	1193	10	2889	2292	1350	12	3654	6543
4	1704	1047	06	2757	2179	1111	13	3303	6060
5	1673	898	06	2577	2023	890	04	2917	5494
योग	8789	5547	44	14380	11070	5931	58	17059	31439

स्रोत - वि0बे0शि0 कार्यालय ।

इसी प्रकार प्रतिवर्ष उपर्युक्त वर्ग के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है।

9. स्वास्थ्य परीक्षण- स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मान्यताप्राप्त चिकित्सकों की सहायता से प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दो तरह के कार्ड मुद्रित कराये गये जिनमें से एक कार्ड छात्र के स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण के लिए तथा दूसरे प्रकार का कार्ड बीमारियों के वर्गीकरण हेतु मुद्रित किये गये थे। परियोजना के अन्तर्गत जनपद में सभी बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है परन्तु जनपद में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के चलते निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

10. कोर ग्रुप- जनपद स्तर पर एक नौ सदस्यीय कोर ग्रुप का गठन किया गया है जिसमें उत्साही अध्यापक/अध्यापिका प्रति क्षेत्र से एक-एक एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, रोस्टर के अनुसार दो बी0आर0सी0 समन्वयक, दो जिला समन्वयक एवं दो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य है जिनकी प्रतिमाह बैठक होती है। बैठक में अकादमिक विषयों के अतिरिक्त निर्माण कार्यों पर विचार, समस्याओं के समाधान पर चर्चा होती है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कार्यरत मानवीय संसाधनों एवं कार्यदायी संस्थाओं का विवरण

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
जिला परियोजना कार्यालय			
1	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	01	01
2	जिला समन्वयक	04	04
3	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	01	-
4	लेखाकार	01	01
5	कम्प्यूटर आपरेटर	01	-
6	आशुलिपिक	01	01
7	कनिष्ठ लिपिक	01	01
8	परिचारक	02	02
9	चालक	01	01
ब्लाक संसाधन केन्द्र			
1	ब्लाक समन्वयक	03	03
2	सह-समन्वयक	06	04
3	चौकीदार	03	-
न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र			
1	न्याय पंचायत समन्वयक	35	35

स्रोत - वि0बे0शि0 कार्यालय ।

अध्याय - 5

आवश्यकताएं एवं रणनीतियाँ

जनपद में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अब तक किये गये प्रयासों के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सार्वभौम पहुँच, नामांकन, ठहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति की दृष्टि से जनपद अपेक्षित लक्ष्य से काफी पीछे हैं। जनपद में अभी भी ऐसी काफी बस्तियां हैं जहां से बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3 किमी0 से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। 11-14 वय वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं है। बालिकाओं का नामांकन बालकों के अपेक्षा कम हैं। शैक्षिक सम्प्राप्ति काफी सोचनीय है। उच्च प्राथमिक विद्यालय/स्तर की शिक्षा प्रसार में क्षेत्र विशेष की आवश्यकता/अपेक्षा को ध्यान में न रखकर राजनैतिक लाभ को देखकर विद्यालय खोले गये हैं। इससे शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता में एकरूपता नहीं आ सकी। स्पष्ट संकेत मिलता हैं कि अभी ऐसे कारण शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान हैं जो शिक्षा सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में विद्यमान समस्याएं जो सर्वेक्षण, विचार-विमर्श, चर्चा-परिचर्चा एवं उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उभर कर सामने आयी हैं वे निम्न प्रकार हैं -

1. पहुँच तथा नामांकन

अ- कारक :

- छितरी बस्तियों में पहुँच तथा शैक्षिक उपलब्धता का न होना।
- अभिभावकों की बच्चों को विद्यालय भेजने की अरूचि, अज्ञानता, व्यवसाय व घरेलू कार्यों में बच्चों की सहभागिता के कारण जनपद में विशेषकर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन कम होना।
- लड़कियों के नामांकन में कमी का कारण अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता तथा छोटे भाई-बहिनों की देखभाल करना।
- उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा सुविधा का समीप न होना तथा कम आयु में शादी होना।

ब- समाधान :

- सभी असेवित बस्तियों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय इस योजना के तहत खोले जायेंगे (मानक पूर्ण करने वाली बस्तियों में)। अन्य वस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की जायेगी। सुविधा से वंचित वर्ग से सलाह मशविरा के उपरान्त ग्राम शिक्षा उक्त सम्बन्धी निर्णय लेगी।
- अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की व्यवस्था।
- समाज के प्रतिनिधि (विशेषकर साक्षर महिला) को जहां का नामांकन सबसे कम है प्रेरक के रूप में चयन होगा। उन्हें कुछ मानदेय के रूप में दिया जायेगा। इन्हें ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से चुना जायेगा। बरसात एवं बरसात के मौसम में दूरस्थ बस्तियों के बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं ऐसे मौसम में ग्राम शिक्षा समिति ग्राम के उत्साही एवं शिक्षित युवकों को निर्धारित मानदेय में उन बस्तियों के लिए नियुक्त कर सकेगी।

2. ठहराव

अ- कारक :

- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं में ठहराव की कमी का कारण अज्ञानता एवं गरीबी है।
- लड़कियों के ठहराव में कमी का कारण कम आयु में शादी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की सुविधा का दूरस्थ होना।
- विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण आकर्षण का न होना।
- अध्यापक/अभिभावक/स्थानीय समुदाय के बीच नियमित सम्पर्क का न होना।
- नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति की कमी।
- दण्ड तथा दुर्व्यवहार पर आधारित परम्परागत शिक्षण।
- घरेलू कार्यों में लड़कियों का व्यस्त होना।

ब- समाधान :

- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य अभिभावकों से सम्पर्क करेगी।
- वातावरण निर्माण हेतु प्रचार-प्रसार करने के लिए अनुसूचित जाति तथा

जनजाति की महिलाओं को जागरूक किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में उनका सहयोग लिया जायेगा।

- ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से शौचालय तथा पेयजल सुविधा सुलभ की जायेगी।
- अभिभावक शिक्षक संघ, माता-शिक्षक संघ, महिला प्रेरक समूह तथा ग्राम शिक्षा समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जायेंगी।
- विद्यालय भवनों की मरम्मत, पुनर्निर्माण तथा रखरखाव पर ध्यान दिया जायेगा।
- विद्यालयों को आकर्षक बनाने के लिए अनुदान ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से दिया जायेगा।
- ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया जायेगा तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जायेगा।
- पर्वतीय तथा छितरी आबादी वाली बस्तियों में बालशालाएं/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।
- लड़कियों के ठहराव व नामांकन में अच्छे परिणाम देने वाले विद्यालयों को पुरस्कृत किया जायेगा।

ुणवत्ता संवर्धन -

अ- कारक :

- पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का अप्रभावी तथा कमजोर होना।
- शिक्षण की निम्न स्तरीय विधि।
- छात्रों का अधिगम स्तर का कम होना।
- छात्रों में दक्षता एवं प्रेरक स्तर का निम्न होना।
- पाठ्यक्रम का अरूचिपूर्ण होना।
- राजकीय कार्यों में परम्परागत विधियों का होना।

ब- समाधान :

- आंगनबाड़ी कार्यकत्री को प्रशिक्षण देकर तथा शिक्षण अधिगम सामग्री को उपलब्ध कराकर पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जायेगी।
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के लिए प्राथमिक

विद्यालयों के एक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष की व्यवस्था की गई थी परन्तु बजट स्वीकृत न होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इनका निर्माण कराया जायेगा तथा ऐसी बालिकाओं को जो अपने छोटे भाई बहिनों की देखभाल में व्यस्त रहती हैं उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जायेगा।

- विषय ज्ञान वृद्धि/सुलभ विद्यालयों में सुधार तथा न्यूनतम अधिकतम स्तर बढ़ाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। वर्तमान पाठ्यक्रम में सुधार एवं रूचिपूर्ण बनाने के लिए राज्य स्तर कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
- सकारात्मक सोच बनाने के लिए अध्यापकों को अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- विद्यालय में शिक्षण/शैक्षिक स्तर की जाँच हेतु ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अध्यापकों की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

५. <u>योजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्माण-कार्य</u>

I. **नवीन प्राथमिक विद्यालय –** जनपद में कुल 962 बस्तियां हैं जिनमें 67 बस्तियां प्राथमिक स्तर की शैक्षिक सुविधा से वंचित हैं। प्रा0वि0 खोलने के निर्धारित मानकों के अनुसार केवल 15 प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान में किया गया था परन्तु योजना द्वारा केवल 10 विद्यालय स्वीकृत हुए। अत: प्रस्तावित कार्ययोजना में 05 नये प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किये गये। इन 05 प्राथमिक विद्यालयों के खुलने से 26 बस्तियां सेवित हो जायेंगी शेष 40 असेवित बस्तियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 05-06 में खुलने वाले 10 प्राथमिक विद्यालयों से सेवित किया जायेगा।

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	एन.पी.आर.सी./सी. आर.सी. का नाम	प्रस्तावित ग्राम/बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या
1	कपकोट	दियाली	1. रीमा क्वींटी	रीमा	250
		असों	2. बमसेरा	बमसेरा	275
		असों	3. पाकड़	पाकड़	300
2	बागेश्वर	काण्डे	4. ढूंगा	ढूंगापाटली	280
3	गरूड़	पिगलों	5. जुकाणी	ज्वाणास्टेट	310

2. पुनर्निर्माण प्राथमिक विद्यालय – 10 प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति जीर्ण-क्षीर्ण होने के कारण इन्हें तकनीकी सलाहोपरान्त पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। इन भवनों के पुनर्निर्माण का कारण जनपद में पूर्व आया भूकम्प तथा बाढ़-भूस्खलन आदि है। भूकम्प प्रभावित क्षेत्र होने के कारण भवनों में दरारें पड़ रही हैं व वर्षा से भवन की स्थिति और खराब हो जाती है।

पुनर्निर्माण हेतु विद्यालय भवनों की सूची (प्राथमिक स्तर)

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	एन0पी0आर0सी0/ सी0आर0सी0 का नाम	प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय का नाम	छात्रसंख्या
1	गरूड़	भिलकोट	1. प्रा0वि0 पडियारखेत	75
		भगरतोला	2. प्रा0वि0 घिरतोली	43
2	बागेश्वर	गुरना	3. प्रा0वि0 मटियोली	53
		गुरना	4. प्रा0वि0 नायल चमोली	09
		रावतसेरा	5. प्रा0वि0 भेटा	40
		काण्डे	6. प्रा0वि0 बसेत	56
3	कपकोट	सिमगढ़ी	7. प्रा0वि0 बैकोड़ी	101
		शामा	8. प्रा0वि0 नाचती	56
		होराली	9. प्रा0वि0 होराली	50
		बदियाकोट	10. प्रा0वि0 किलपारा	56

3. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष – उपलब्ध कक्षा-कक्षों एवं छात्रसंख्या के मद्देनजर प्रस्तुत योजना में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण हेतु प्रस्तावित किये गये हैं। अतः इस योजना में 15 अतिरिक्त कक्षाकक्ष प्रस्तावित किये गये हैं। इसके पूर्व योजना द्वारा 108 अतिरिक्त कक्षाकक्षों का निर्माण किया जा चुका है। उपर्युक्त 15 अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण के बाद विद्यालयों में कक्षों की कमी पूरी हो जायेगी।

अतिरिक्त कक्षा–कक्ष प्राथमिक स्तर

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	एन0पी0आर0सी0 का नाम	विद्यालय का नाम	अतिरिक्त आवश्यकता
1	बागेश्वर	फल्यांटी	1. प्रा0वि0 बानरीतोक	01
		बनलेख	2. प्रा0वि0 पलायन	01
		फल्यांटी	3. प्रा0वि0 विलखेत	01
2	कपकोट	ऐठाण	4. प्रा0वि0 तिलाड़ी	01
		भनार	5. प्रा0वि0 सुमालगांव	01
		सूपी	6. प्रा0वि0 लाहुर	01
		सूपी	7. प्रा0वि0 बैछम	01
		लोहारखेत	8. प्रा0वि0 खाती	01
		होराली	9. प्रा0वि0 होराली	01
3	गरूड़	गढ़सेर	10. प्रा0वि0 कनस्यारी	01
		तिलसारी	11. प्रा0वि0 गनीगांव	01
		भिलकोट	12. प्रा0वि0 घेटी	01
		पिंगलों	13. प्रा0वि0 हवीलकुलवान	01
		गढ़सेर	14. प्रा0वि0 गढ़सेर	01
		पिंगलों	15. प्रा0वि0 परकोटी	01

4. मरम्मत – वर्ष 2004-05 में विद्यालय मरम्मत हेतु रु0 20 हजार प्रति विद्यालय की दर से कुल 35 विद्यालयों हेतु रु0 700 हजार अतिरिक्त धनराशि वार्षिक कार्ययोजना में रखा गया है।

5. शौचालय – परियोजना अवधि में कुल 300 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त है जिनमें से 150 शौचालयों का निर्माण कार्य वर्ष 2003-04 तक पूर्ण करा लिया गया है। शेष 150 शौचालयों का निर्माण वर्ष 2004-05 में कराया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए प्रति शौचालय रु0 15 हजार की दर से कुल रु0 2250 हजार वार्षिक बजट में प्रस्तावित किया गया है।

8. सामुदायिक सहभागिता

किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु वहां के समुदाय का सहयोग अपरिहार्य है। बिना समुदाय की स्वीकारोक्ति के किसी भी कार्यक्रम/योजना को संचालित किया जाना असफलता की अनिवार्यता है। अतः समुदाय की स्वीकारोक्ति के साथ ही उस योजना के सम्बन्ध में समुदाय को जानकारी हो तथा सहयोग/सहभागिता के लिए समुदाय को

प्रशिक्षित किया जाना भी अनिवार्य है।

वर्तमान समय में जनपद में 363 ग्राम पंचायत तथा इतनी ही ग्राम शिक्षा समितियां हैं। इनमें प्रशिक्षण का कार्य परियोजना के मानकों के अनुसार किया जा रहा है।

जिला शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में 337 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया गया था पुनः इस वर्ष से प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। वर्ष 2003-04 में 200 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा है। जनपद में 567 प्राथमिक विद्यालय एवं 64 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। अतः कुल 631 स्कूल प्रबन्धन समिति के 2 सदस्य प्रति एस0एम0सी0 की दर से ग्राम शिक्षा समितियों के साथ ही प्रशिक्षित किये जायेंगे ताकि ये समितियां अधिक जागरूक होकर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे।

विकासखण्ड वार शिक्षा समितियों का विवरण

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल ग्राम शिक्षा समितियें की संख्या	कुल स्कूल प्रबन्धन समितियों की संख्या
1	बागेश्वर	160	160	260
2	कपकोट	106	106	222
3	गरुड़	97	97	149
	योग	363	363	631

स्रोत - डी0पी0आर0ओ0 कार्यालय ।

सूक्ष्म नियोजन/ग्राम शिक्षा योजना - स्कूल प्रबन्धन समितियों के प्रशिक्षण के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा परिवार सर्वेक्षण एवं ग्राम सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा योग्य वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जायेगा। इन्हीं के प्रयास से विद्यालय से वाहर के बच्चों का विद्यालय में नामांकन करने का प्रयास किया जायेगा। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षण सुविधा से वंचित/असेवित क्षेत्र के लिए ग्राम शिक्षा योजना तैयार की जायेगी। सिविल वर्क के अन्तर्गत आने वाले सभी निर्माण कार्य इन्हीं समितियों से कराये जायेंगे।

सूक्ष्म नियोजन/ग्राम शिक्षा योजना शुद्ध एवं नियोजित बनाने के लिए समितियों में नवयुवकों एवं उत्साही लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। सही सर्वेक्षण एवं आंकड़ों की शुद्धता पर योजना की सफलता निर्भर रहती है। समितियों को समय-समय पर मार्गनिर्देशन

हेतु सी0आर0सी0 प्रभारी/समन्वयक बी0आर0सी0 को जिम्मेदारी सौंपी जायेगी जिनका प्रत्येक स्तर पर सी0आर0सी0 से समन्वयन बना रहेगा।

9. शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक नवाचार शिक्षा –

शिक्षा के पहुंच का विस्तार एवं वंचित वर्ग त : शैक्षिक सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक शिक्षा योजना की परिकल्पना को क्रियान्वित करने के लिए परिवार सर्वेक्षण किया गया। परिवार सर्वेक्षण से जनपद के 962 बस्तियों में से 110 बस्तियां उच्च प्राथमिक स्तर की और 67 बस्तियां प्राथमिक स्तर की शैक्षिक सुविधा से असेवित पायी गई।

1. ई0जी0एस0 – ऐसी बस्तियां जिनके लिए प्राथमिक स्तर की शैक्षिक सुविधा एक किलोमीटर की परिधि से अधिक दूरी पर है तथा 5-8 वय वर्ग के कम से कम 25 बच्चे नामांकन से वंचित हैं तो ऐसी बस्तियों में ई0जी0एस0 के अन्तर्गत विद्या केन्द्र खोलकर उस बस्ती को शैक्षिक सुविधा से आच्छादित किया जायेगा परन्तु 300 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

परिवार सर्वेक्षण के अनुसार जनपद में 67 बस्तियां असेवित पायी गई। इनमें से प्राथमिक विद्यालय खोलने के निर्धारित मानकों को मद्देनजर रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान में 15 प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए प्रस्तावित किये गया था परन्तु इन 15 प्राथमिक विद्यालय में से 05 विद्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के वर्तमान कार्ययोजनान्तर्गत तथा 10 प्रा0विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोलने हेतु प्रावधान किया गया है फिर भी 11 बस्तियां असेवित रह जायेंगी। इन 11 बस्तियों में शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।

2. वैकल्पिक नवाचार शिक्षा – इस योजना के तहत ऐसी बस्तियों में जहां यद्यपि प्राथमिक विद्यालय 1 किमी0 की परिधि के भीर अथवा उच्च प्राथमिक स्तर की शैक्षिक सुविधा 3 किमी0 के अन्दर उपलब्ध हो वहां यदि मानकानुसार 6-14 वय वर्ग के 25 से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हों तो वहां वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलकर ऐसे नामांकन से बाहर के बच्चों को शिक्षा सुविधा दी जा सकती है।

ऐसी छितरी बस्तियां जहां मानक पूरा न करने के कारण विद्यालय नहीं खोले जा सकते है वहां पर वैकल्पिक शिक्षा स्कूल व्यवस्था के तहत शैक्षणिक सुविधा दी जायेगी।

3. स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा वैकल्पिक नवाचार शिक्षा – जनपद में कोई भी ऐसी स्वयं सेवी संस्था नहीं है जो वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/स्कूल चलाती है और न ही किसी संस्था के

आगे चलाने के लिए आवेदन/प्रस्तावदिया है। अत: जनपद में 19 प्रस्तावित ई0जी0एस0 केन्द्र परियोजना द्वारा ही संचालित किये जायेंगे।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के लिए पूरे परियोजना काल हेतु ई0जी0एस0 (विद्या केन्द्र) 69 तथा 14 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्वीकृत हैं परन्तु वर्तमान तक 50 ई0जी0एस0 (विद्या केन्द्र) ही संचालित हैं। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए प्रस्ताव अप्राप्ति के कारण संचालित नहीं हो पाये हैं और न ही भविष्य में प्राथमिक स्तर के कोई भी वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खुल पायेंगे। एस0एस0ए0 के परिवार सर्वेक्षण के अनुसार भी 6-11 वय वर्ग के कुल 71 बच्चे ही नामांकन से बाहर हैं तथा इनकी संख्या छितरी हुई बस्तियों में स्थित होने के कारण उक्त केन्द्र खोलने का मानक पूरा नहीं कर पाती हैं।

10. समेकित शिक्षा –

शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है इसलिए हमारे आस-पास रहने वाले ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणों से शारीरिक व मानसिक अक्षमता का शिकार हो जाते हैं के लिए भी शिक्षा का व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता हैं। इस प्रकार के बच्चे अपने अक्षमताओं तथा अपने साथियों, माता-पिता व शिक्षकों के असहज व्यवहार के कारण सामान्य बच्चों के अपेक्षा सीखने में काफी पिछड़ जाते हैं। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन बच्चों की अक्षमताओं की पहचान कर उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान करते हुए उनकी शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ समेकित रूप में की जायेगी।

जनपद बागेश्वर में वर्तमान में घर-घर सर्वेक्षण के आधार पर 6-18 वय वर्ग के 246 बच्चे जिसमें से 145 बालक तथा 101 बालिकाएं अक्षमता वाले हैं। इन बच्चे को समेकित रूप से अच्छी शिक्षा सहज रूप से मिल सके इसके लिए निम्नांकित प्रयास किये जायेंगे।

1. स्वास्थ्य परीक्षणों का आयोजन – प्रत्येक वर्ष बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा तथा सामान्य रोगों व लक्षणों का उपचार किया जायेगा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जायेगी।

2. शिविरों का आयोजन – विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिविरों का आयोजन किया जायेगा जिसमें उन्हें कृत्रिम उपकरणों,विकलांगता प्रमाणपत्र प्रदान किये जायेंगे।

3. अध्यापक संवेदनशीलता प्रशिक्षण – विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सहज व्यवहार हो इस हेतु अध्यापकों को संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यमों से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. प्रोत्साहन कार्यक्रम – विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु सांस्कृतिक/साहित्यिक व खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन संकुल, विकासखण्ड, जनपद स्तर पर किया जायेगा। वर्तमान में सुलेख प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, क्विज आदि का आयोजन किया जा रहा है।

II. बालिका शिक्षा –

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बालिकाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। संविधान में प्रारिम्भिक शिक्षा के अनिवार्यता के बावजूद भी 4-16 वय वर्ग के लगभग 5 करोड़ बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। इन विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों में 3 करोड़ से ज्यादा बालिकाओं के विद्यालय न जाने अथवा विद्यालय बीच में छोड़ देने के पीछे कहीं न कहीं समाज में पुरुष व महिला के बीच भेद-भाव, सामाजिक असमानता, आर्थिक परिस्थिति आदि कारण हैं। इसीलिए आज भी देश में पुरुष व महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत में काफी अन्तर दृष्टिगोचर होता है।

लिंगानुसार साक्षरता का विवरण (2001 के अनुसार)

क्र0सं0	विवरण	पुरुष	महिला	अन्तर
1	भारत	75.85	54.14	21.71
2	उत्तरांचल	84.01	60.26	23.75
3	बागेश्वर	88.50	57.45	21.05

स्रोत - सांख्यिकी पत्रिका ।

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनपद में बागेश्वर में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में 31.05 का अन्तर है। अत: बालिका शिक्षा हेतु विशेष ध्यान देना होगा ताकि अन्तर को कम किया जा सके।

I. नामांकन अभियान – बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन हेतु एक 15 दिवसीय बृहद अभियान चलाया जायेगा जिसमें जन जागरण हेतु सम्पूर्ण विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर रैलियों का आयोजन किया जायेगा।

2. शिशु शिक्षा (ई0सी0सी0ई0) केन्द्रों की स्थापना – शिशु शिक्षा केन्द्र केन्द्रों को बाल विकास परियोजना के साथ समन्वयन कर सुदृढ़ किया जायेगा और इन केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों में चलाया जायेगा। शिशु शिक्षा केन्द्रों में आने वाले 3-6 वय वर्ग के शिशुओं के विकास के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकत्रियों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के भांति ही प्रशिक्षण दिया जायेगा। जनपद में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रतिवर्ष रु0 1500=00 आकस्मिक व्यय और केन्द्रों को खिलौने व अन्य सामग्री क्रय करने हेतु रु0 5000=00 दिया जायेगा।

जनपद में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से चलाये जा रहे केन्द्रों को भी इस योजना से जोड़ा जायेगा।

3. अवकाशकालीन शिविरों (शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन) का आयोजन – नियमित उपस्थित न होने या अन्य कारणों से पढ़ाई में पीछे छूट जाने वाले बालिकाओं के लिए इस प्रकार के कैम्पों का आयोजन न्याय पंचायत अथवा बी0आर0सी0 स्तर पर किया जायेगा जिसमें उन्हें दक्ष एवं अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से विषयगत कौशल प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

4. आदर्श संकुल – जनपद के उन न्याय पंचायतों में जिनमें बालिका शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है वहां पर विशेष प्रयासों के तहत आदर्श संकुलों का चयन किया जायेगा। आदर्श संकुल में ग्राम समुदाय को सक्रिय करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों जैसे- मीना फिल्म प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक आयोजन, बाल मेला आयोजन, माँ-बेटी मेलों का आयोजन, बच्चों के अभिभावकों, माताओं के प्रशिक्षण का आयेाजन किया जायेगा।

आदर्श संकुल के चयन का आधार निम्नांकित होगा -

1. महिलाओं की साक्षरता दर न्यून है।
2. अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के बच्चों की संख्या अधिक है।
3. महिला अध्यापकों की संख्या न्यून है।
4. बालिकाओं के साथ लैंगिक भेद-भाव अधिक है।
5. बालिकाओं की शाला त्याग दर अधिक है।

12. शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली (ई0एम0आई0एस0) –

शैक्षिक स्तर में गुणवत्ता संवर्धन एवं नियोजन के सफल संचालन हेतु शैक्षिक आंकड़ों का संकलन विद्यालय स्तर से किया जाता है। इसे शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली (ई0एम0आई0एस0) कहा जाता है।

जनपद में वर्ष 2000 अप्रैल से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित है। इसके तहत प्रतिवर्ष विद्यालयों से आंकड़े प्राप्त किये जा रहे हैं। प्रस्तुत कार्ययोजना के निर्माण

उक्त शैक्षिक सूचना प्रणाली (ई0एम0आई0एस0) से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। विद्यालय भवनों की स्थिति, भवनहीन, कक्षा-कक्षों की उपलब्धता, कार्यरत अध्यापक एवं छात्रसंख्या, पेयजल, शौचालय एवं चहारदीवारी की आवश्यकता शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के द्वारा ही प्राप्त की गयी।

यद्यपि ई0एम0आई0एस0 के द्वारा राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, अमान्य एवं केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से आंकड़े प्राप्त किये गये परन्तु प्रस्तुत कार्ययोजना में राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों की उपलब्ध सुविधाएं एवं आवश्यकता को ही मद्देनजर रखकर प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार किया गया ।

सारणी

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय		उ0प्रा0वि0			माध्यमिक विद्यालय		
		परिषदीय	मान्यताप्राप्त	परिषदीय	सहा0प्राप्त	मान्यताप्राप्त	राजकीय	सहा0प्राप्त	मान्यताप्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बागेश्वर	230	30	33	02	05	12	11	02
2	कपकोट	201	12	29	01	02	08	05	01
3	गरुड़	136	11	15	03	03	08	03	-
	योग	567	53	77	06	10	28	19	03

स्रोत - बी0एस0ए0 कार्यालय ।

प्रतिवर्ष शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली का प्रयोग शैक्षिक आंकड़ों के संकलन में किया जायेगा तथा आंकड़ों के संकलनों-परान्त विश्लेषण हेतु एक कोर ग्रुप तैयार किया जायेगा जिसमें जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 के समन्वयक सम्मिलित होंगे। विश्लेषण द्वारा प्राप्त नतीजों के आधार पर परियोजना में वार्षिक कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे। कोर ग्रुप विश्लेषण द्वारा निकले नतीजों व प्रस्तावित कार्यक्रमों का वीक्षण/निरीक्षण कर शतप्रतिशत परिणाम के लिए उत्तरदायी रहेगा।

परियोजना प्रबन्धन एवं दक्षता संवर्धन

1- परियोजना प्रबन्धन –

किसी भी परियोजना की सफलता नियोजित कार्यक्रम, कार्यक्रम की श्रेष्ठता, कार्यकर्ताओं की कुशलता एवं लगनता के साथ ही परियोजना के प्रबन्धन की स्थिति/सक्षमता पर निर्भर करता है। जितना सकुशल एवं समर्थ प्रबन्धन होगा परियोजना का परिणाम उतना ही सफल रहेगा।

परियोजना के कार्यक्रमों की शत-प्रतिशत सफलता/परिणामों के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रबन्धन संस्थाओं की स्थापना एवं क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारी/कर्मचारियों की टीम बनाई गई है जो निम्न प्रकार है -

(अ) जिला परियोजना कार्यालय (डी0पी0ओ0) – जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना अप्रैल 2000 से संचालित की जा रही है जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में निम्न प्रकार अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं -

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	नियुक्ति का प्रकार
जिला परियोजना कार्यालय				
1	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	01	01	जि0बे0शि0अधिकारी पदेन
2	जिला समन्वयक	04	04	प्रतिनियुक्ति पर
3	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	01	-	पद रिक्त
4	लेखाकार	01	01	- " -
5	कम्प्यूटर आपरेटर	01	-	पद रिक्त
6	आशुलिपिक	01	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
7	कनिष्ठ लिपिक	01	01	प्रतिनियुक्ति
8	परिचारक	02	02	संविदा
9	चालक	01	01	संहत
ब्लाक संसाधन केन्द्र				
1	ब्लाक समन्वयक	03	03	प्रतिनियुक्ति
2	सह-समन्वयक	06	04	प्रतिनियुक्ति
3	चौकीदार	03	-	पद रिक्त
न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र				
1	न्याय पंचायत समन्वयक	35	35	प्रतिनियुक्ति

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत पदों में से केवल कम्प्यूटर आपरेटर का पद रिक्त है अन्य अधिकारी/कर्मचारी योजना का सफल संचालन कर रहे हैं।

(ब) डायट – जनपद स्तर के सभी प्रशिक्षण कार्य, जनपद में मिनी डायट के निर्माण तक डायट अल्मोड़ा द्वारा ही सम्पादित किये जायेंगे। जनपद में मिनी डायट के निर्माण के बाद जनपद से ही समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित होंगे। जनपद के लिए मिनी डायट निर्माण डी0पी0ई0पी0 योजना में प्रस्तावित है। प्रशिक्षण के लिए डायट एवं प्रशिक्षणार्थियों को डायट भेजने की जिम्मेदारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित स्फाट की होगी। जनपद में सम्पादित होने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों व विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों का वीक्षण तथा क्रियान्वयन भी डायट द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।

(स) बी0आर0सी0 – डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत इस समय जनपद में 03 बी0आर0सी0 एवं समन्वयक अस्तित्व में हैं तथा इनमें वर्ष 2000-01 से कार्य संचालन किया जा रहा है। बी0आर0सी0 विकासखण्ड के अन्तर्गत संचालित सभी शैक्षिक गतिविधियों तथा विद्यालयों के मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

(द) एन0पी0आर0सी0/सी0आर0सी0 – वर्तमान तक जनपद में 35 एन0पी0आर0सी0/ सी0आर0सी0 संचालित हैं। विद्यालयों की अधिक संख्या एवं विषम भौगोलिक स्थिति के कारण 08 अतिरिक्त (नये) सी0आर0सी0 सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रस्तावित किये गये हैं। संकुल के अन्तर्गत के सभी शैक्षिक गतिविधियों के संचालन के लिए संकुल प्रभारी ही उत्तरादायी होंगे। बी0आर0सी0 एवं विद्यालयों के बीच समन्वयक पूल का दायित्व निभायेंगे।

(य) निर्माण कार्यों की तकनीकी सलाह – जनपद में प्रस्तुत कार्ययोजना के अन्तर्गत समस्त निर्माण कार्यों का तकनीकी दायित्व ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियंता का होगा जिन्हें इस कार्य के निष्पादन के लिए निर्धारित मानदेय दिया जायेगा। जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड में 01 अवर अभियन्ता एवं जनपद स्तर पर 01 सहायक अभियन्ता कार्यरत है।

(र) निर्माण कार्यों एवं शैक्षिक गतिविधियों की अनुश्रवण – परियोजना के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यों एवं शैक्षिक गतिविधियों का अनुश्रवण जनपदीय अधिकारियों- विशेषज्ञ/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चारों जिला समन्वयकों, क्षेत्रीय निरीक्षकों के अतिरिक्त बी0आर0सी0 एवं सी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा

किया जायेगा। सभी निर्माण कार्य डी0पी0ई0पी0 परियोजना के समान ही ग्राम शिक्षा समिति करेगी।

2- दक्षता संवर्धन –

अ– समस्या एवं समाधान :

- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय स्थापित न होने के कारण समस्त कार्य परियोजना के साथ-साथ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा ही सम्पादित किया जा रहा है।
- वर्तमान में चल रहे प्रशिक्षण विधियों एवं व्यवस्था कमजोर व अपूर्ण है। चूंकि जनपद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान न होने के कारण अल्मोड़ा डायट से ही समस्त प्रशिक्षण सम्पादित किये जा रहे हैं।

ब– समाधान :

- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) में रिक्त पदों को भरा जायेगा।
- जनपद में प्रस्तावित/स्वीकृत मिनी डायट, बी0आर0सी0 एवं सी0आर0सी0 पर नियमित प्रशिक्षण कराये जायेंगे।
- एन0पी0आर0सी0 के स्थान पर 10-20 विद्यालयों हेतु सी0आर0सी0 का गठन किया जायेगा, जिनमें प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। सर्व शिक्षा अभियान में 08 नये सी0आर0सी0 प्रस्तावित किये गये हैं।
- ग्राम शिक्षा समितियों एवं महिला प्रेरक समूह के लिए प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जायेगी।

अध्याय -7

प्रस्तावित कार्यक्रम एवं बजट

पहुंच (Access) "A"

A .1 अतिरिक्त कक्षा कक्ष :– जनपद में 56 प्रा0वि0 संचालित हैं जिनमें से परियोजना(डी0पी0ई0पी0) अन्तर्गत कुल 108 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का लक्ष्य प्राप्त था। प्रथम वर्ष में 60 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का लक्ष्य रखा गया जिसमें से 30 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का कार्य पूर्ण कराया गया तथा पी0एम0जी0वाई0 से धनराशि समय से प्राप्त न होने के कारण 30 अतिरिक्त कक्षा कक्षों को द्वितीय वर्ष के लिए स्पिल ओवर किया गया। द्वितीय वर्ष में 40 अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में कुल 100 अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया। तृतीय वर्ष में 08 अतिरिक्त कक्षाकक्षों की स्वीकृति प्राप्त थी। इस प्रकार परियोजना के लक्ष्य 108 के विपरीत 108 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2004–05 में 15 अतिरिक्त कक्षाकक्ष 54 हजार की दर से कुल रु0 810 हजार प्रस्तावित किया गया है।

A.2(1). नवीन प्राथमिक विद्यालय – जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से कुल 32 प्रा0वि0 वर्षवार रखा गये हैं। अभी भी जनपद में 05 विद्यालयों को मानकानुसार खोलने की आवश्यकता है। अतः कार्ययोजना में 05 विद्यालयों को 40 प्रतिशत रु0 151.200 हजार की दर से कुल 756 हजार रुपया रखा गया है।

A-2(2a)- शिक्षामित्रों का मानदेय :– प्रस्तावित विद्यालयों में लगने वाले कुल 10 शिक्षामित्रों का मानदेय रु0 3000 प्रतिमाह प्रति शिक्षामित्र की दर से कुल रु0 300 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया हैं।

A-2(2b)- प्रधान अध्यापकों का अतिरिक्त वेतन :– इस मद में उपलब्ध विद्यालयों में लगने वाले 37 प्रधान अध्यापकों का अतिरिक्त वेतन (इन्क्रीमेंटल वृद्धि) रु0 500 प्रति, प्रतिमाह की दर से रु0 333 हजार कार्ययोजना में रखा गया है।

A-2(3)- फर्नीचर/उपकरण :– प्रस्तावित कुल 05 नवीन प्रा0वि0 में फर्नीचर एवं उपकरण क्रय हेतु रु0 10 हजार की दर से कुल रु0 50 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

A-3 b-

1. मानदेय – जनपद में कुल कार्यरत 60 विद्या केन्द्रों एवं प्रस्तावित 09 विद्या केन्द्रों में कार्यरत आचार्य जी का रु0 1000 की दर से मानदेय हेतु वर्ष 2004–05 के 11 माह

एवं वर्ष 05–06 के 06 माह में कुल रु0 1173 हजार की धनराशि प्रस्तावित किया गया है।

2. शैक्षिक उपकरण :– वर्ष 2004–05 में कुल 19 नवीन प्रस्तावित विद्या केन्द्रों के लिए शैक्षिक उपकरण क्रय करने हेतु रु0 2.35 हजार की दर से कुल रु0 44.650 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।
3. पुस्तकें – वर्ष 2004–05 में कुल 69 विद्या केन्द्रों के लिए प्रति विद्या केन्द्र रु0 1000 की दर से कुल रु0 69 हजार एवं वर्ष 2005–06 में 06 माह के लिए रु0 69 हजार कुल रु0 138 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

4a. टी0एल0एम0/आकस्मिक व्यय – जनपद में संचालित कुल 69 विद्या केन्द्रों के लिए वर्ष 2004–05, वर्ष 2005–06 में टी0एल0एम0/आकस्मिक व्यय के लिए कुल रु0 69 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

4b. कार्यशाला/सेमिनार – जनपद में संचालित कुल 69 विद्या केन्द्रों के लिए वर्ष 2004–05, वर्ष 2005–06 में कार्यशाला/सेमिनार के लिए प्रति विद्या केन्द्र रु0 30 की दर से कुल रु0 8.280 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

5a. आचार्य जी का प्रशिक्षण – वर्ष 2004–05 में प्रस्तावित 19 विद्या केन्द्रों के आचार्य जी का प्रशिक्षण हेतु कुल रु0 34.960 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

5b. पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण – वर्ष 2004–05 में 50 विद्या केन्द्रों के आचार्य जी एवं वर्ष 2005–06 में 50 विद्या केन्द्रों के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण हेतु रु0 119 हजार की धनराशि कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

A3B-6 जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा का वेतन :– जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक वैक0शि0 का वेतन वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में रु0 384 हजार रखा गया है।

R धारण –(Retention) -

R-3 जीण–क्षीर्ण भवनों का निर्माण :– जिला परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 में 17 विद्यालय एवं वर्ष 2001–02 में 10 जीर्ण–क्षीर्ण प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण कराया गया। वर्तमान समय में जनपद में 10 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनका पुनर्निर्माण किया जाना आवश्यक है। अतः वर्ष 2004–05 में प्रति विद्यालय रु0 151.200 हजार की दर से कुल रु01512 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

R-4 शौचालयों का निर्माण :– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 में 150 प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2004–05 में 150

प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण हेतु प्रति शौचालय रु0 15 हजार की दर से कुल रु0 2250 हजार रखा गया है।

R-6 विद्यालय के मरम्मत :– इस मद हेतु कुल रु0 20 हजार की दर से 35 विद्यालयों में रु0 700 हजार का प्रस्ताव किया गया है।

R-7 अतिरिक्त पैरा टीचरों का वेतन :– जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 में 107 शिक्षामित्र, वर्ष 2001–02 में 14, वर्ष 2002–03 में 10 कुल 131 शिक्षामित्र स्वीकृत किये गये थे। वर्ष 2004–05 में कुल 131 शिक्षामित्रों को रु0 3 हजार प्रतिमाह की दर से मानदेय रु0 4323 हजार एवं वर्ष 2005–06 में प्रस्तावित 10 शिक्षामित्रों सहित कुल 141 शिक्षामित्रों का 06 माह का मानदेय रु0 720.5 हजार कुल रु0 6861 हजार कार्ययोजना में रखा गया है।

R-8 बालिका शिक्षा :–

R-8.1 जिला समन्वयक बालि0शिक्षा का वेतन :– जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक बा0शि0 का वेतन वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में रु0 336 हजार रखा गया है।

(d) एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 प्रशिक्षण – माडल कलस्टर के अन्तर्गत एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 254.400 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 254.400 हजार कुल रु0 508.800 हजार प्रस्तावित किया गया है।

(e) माँ–बेटी मेला – वर्ष 2004–05 में माँ–बेटी मेला हेतु कुल रु0 6 हजार प्रस्तावित किया गया है।

(f) मीना फिल्म प्रदर्शनी – इस मद हेतु कुल रु0 15.200 हजार प्रस्तावित किया गया है।

(g) एन0पी0आर0सी0 स्तर पर कार्यशाला – जनपद के माडल कलस्टरों में कार्यशाला/सेमिनार के आयोजन हेतु वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में कुल रु0 55.500 हजार रखा गया है।

R-14 जे0ई0/ए0ई0 का मानदेय – जनपद में प्रस्तावित निर्माण कार्यों को मानकानुसार/गुणवत्तायुक्त ढंग से पूर्ण कराये जाने हेतु ए0ई0/जे0ई0 के मानदेय के रुप में वर्ष 2004–05 हेतु कुल रु0 54 हजार प्रस्तावित किया गया है।

Q- गुणवत्ता (Quality Improvement) :–

Q-1(A).3 ई0सी0सी0ई0 मानदेय :– जनपद में परियोजना द्वारा संचालित कुल 185 ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के कार्यकत्रियों/सहायिकाओं का मानदेय रु0 375 की दर से वर्ष

2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में कुल रु0 1248.750 हजार की धनराशि कार्ययोजना में रखी गई है।

Q-1(A).4 ई0सी0सी0ई0 आकस्मिक व्यय :– जनपद में परियोजना द्वारा संचालित कुल 185 ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के लिए रु0 1500 की दर से वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में कुल रु0 555.000 हजार की धनराशि कार्ययोजना में रखी गई है।

Q-1(A).5b पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षणः– जनपद में परियोजना द्वारा संचालित कुल 185 ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के कार्यकत्रियों/सहायिकाओं का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में कुल रु0 370 हजार की धनराशि कार्ययोजना में प्रस्तावित की गई है।

Q-2. प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

Q-2.1 जिला समन्वयक प्रशिक्षण+जिला समन्वयक सामु0शि0 के लिए वेतन :– जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं जिला समन्वयक सामु0सहभागिता दोनों का वेतन वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के लिए रु0 720 हजार रखा गया है।

Q-2.1 जिला संदर्भ समूह की बैठक (डी0आर0जी0) :– वर्ष 2004–05 में 04 एवं वर्ष 2005–06 में 02 कुल 06 डी0आर0जी0 बैठकें हेतु प्रति डी0आर0जी0 रु0 3.375 हजार की दर से कुल रु0 20.250 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

Q-2.2 ब्लाक संदर्भ समूह की बैठक (बी0आर0जी0) :– जनपद के 03 विकासखण्डों में प्रति विकासखण्ड वर्ष 2004–05 में 12 एवं वर्ष 2005–06 में 06 कुल 18 बी0आर0जी0 बैठकें हेतु रु0 2.850 हजार की दर से कुल रु0 51.300 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

Q-2.3 ब्लाक संदर्भ समूह का प्रशिक्षण :– वर्ष 2004–05 में बी0आर0जी0 प्रशिक्षण हेतु कुल रु0 16.400 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

Q-2.4 ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण :– वर्ष 2004–05 में शेष 163 ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण हेतु कुल रु0 126.720 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

Q-2.5 संदर्भदाता प्रशिक्षणः– सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2004–05 में संदर्भदाताओं के प्रशिक्षण के लिए कुल रु0 34.750 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

Q-2.6 प्रधानाध्यापक प्रशिक्षणः– जनपद में कार्यरत लगभग 500 प्रधानाध्यापकों के 05 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2004–05 में कुल रु0 243.250 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

Q-2.7 सेवारत अध्यापक प्रशिक्षणः– जनपद में कार्यरत अध्यापकों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच रु0 34.750 हजार की दर से कुल 33 बैचों का रु0 1146.750 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

Q-2.8a शिक्षामित्र प्रशिक्षण (बोधात्मक):– जनपद में वर्ष 2004–05 में प्रस्तावित नवीन विद्यालयों में 10 शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण हेतु रु0 1.840 की दर से कुल रु0 18.400 हजार प्रस्तावित है।

Q-2.8b शिक्षामित्र प्रशिक्षण (पुनर्बोधात्मक):– 131 शिक्षामित्रों के बी0आर0सी0 स्तर पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 0.900 हजार की दर से कुल रु0 126.900 हजार कार्ययोजना में रखा गया है।

Q-2.11 बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 / ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 के क्षमता विकास प्रशिक्षण :– जनपद में कार्यरत ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 / बी0आर0सी0 समन्वयक / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के क्षमता विकास में वृद्धि करने के लिए वर्ष 2004–05 में 05 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु रु0 17.375 हजार प्रस्तावित किया गया है।

Q-2.12 निर्माण कार्यों हेतु प्रशिक्षण :– जनपद के 03 विकासखण्डों में प्रस्तावित निर्माण कार्यों के गुणवत्तापूर्वक कराये जाने हेतु वर्ष 2004–05 में प्रति विकासखण्ड रु0 5.250 हजार की दर से कुल रु0 15.750 हजार प्रस्तावित किया गया है।

Q-2.13 नवाचारी प्रशिक्षण:–एन0पी0आर0सी0 / बी0आर0सी0 / जनपद स्तर पर नवाचारी शिक्षा हेतु वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में कुल रु0 160.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

Q-3 टी0एल0एम0 :–

1.a – विद्यालय विकास अनुदान – वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में प्रति विद्यालय रु0 2 हजार की दर से रु0 2268.000 हजार प्रस्तावित किया गया है।

2. – अध्यापक / शिक्षामित्र अनुदान – शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु प्रति अध्यापक रु0 500 की दर से कुल रु0 987.000 हजार प्रस्तावित किया गया है।

3. – निःशुल्क पाठ्य पुस्तक – वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक एवं समस्त वर्ग की बालिकाओं हेतु उनकी संख्या के अनुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु रु0 2975.500 हजार का प्रावधान रखा गया है।

C- क्षमता निर्माण (Capacity Building)

C1- स्कूल मानचित्रण एवं सूक्ष्म नियोजन –

C-1.1 प्रिंटिंग एवं सर्वे :– वर्ष 2004–05 में प्रिंटिंग / सर्वेक्षण मद हेतु कुल रु0 20.000 हजार प्रस्तावित किया गया है।

C-2 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) – जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु विभिन्न मदों में निम्न प्रकार से प्राविधान रखा गया है।

C-2.2c कन्ज्युमेबिलः– डायट स्तर पर कन्ज्युमेबिल व्यय हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 25.000 हजार तथा वर्ष 2005–06 में रु0 10.000 हजार कुल 35.000 हजार कार्ययोजना में रखा गया है।

C-2.3 किताबें (बुक्स):– डायट में किताबें क्रय करने हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 10.000 हजार प्रस्तावित किया गया है।

C-2.5 प्रिंटिंग :– वर्ष 2004–05 में रु0 50.000 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 25.000 हजार कुल रु0 75.000 हजार प्रिंटिंग हेतु कार्ययोजना में रखा गया है।

C-2.6 यात्रा भत्ता :– वर्ष 2004–05 में रु0 100.000 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 50.000 हजार कुल रु0 150.000 हजार यात्राभत्ता हेतु कार्ययोजना में रखा गया है।

C-2.7 कार्यशाला/सेमिनार :– डायट स्तर पर कार्यशाला/सेमिनार हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 30.000 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 10.000 हजार कुल रु0 40.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

C-2.10 पी0ओ0एल0 :– वर्ष 2004–05 में रु0 75.000 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 30.000 हजार कुल रु0 105.000 हजार पी0ओल0 हेतु कार्ययोजना में रखा गया है।

C-2.11 क्रियात्मक शोध :– वर्ष 2004–05 में क्रियात्मक शोध हेतु रु0 25.000 हजार कार्ययोजना में रखा गया है।

C-2.12 ड्राइवर का वेतन :– वर्ष 2004–05 में रु0 30.000 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 15.000 हजार कुल रु0 45.000 हजार ड्राइवर वेतन हेतु कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

C-2.13 आकस्मिक व्यय :– वर्ष 2004–05 में रु0 30.000 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 15.000 हजार कुल रु0 45.000 हजार आकस्मिक व्यय हेतु कार्ययोजना में रखा गया है।

C-3 बी0आर0सी0:–

C-3.2a बी0आर0सी0 समन्वयकों का वेतन :– जनपद में कुल कार्यरत 09 बी0आर0सी0 समन्वयकों/सह समन्वयकों के वेतन मद हेतु वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में रु0 1984.000 हजार तथा वर्ष 2005–06 में रु0 486.000 हजार कुल रु0 1458.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

C-3.4 यात्रा भत्ता :– बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक/ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 के यात्रा भत्ता हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 30.000 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 15.000 हजार कुल रु0 45.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

C-3.6 मरम्मत :– वर्ष 2004–05 में बी0आर0सी0 मरम्मत हेतु प्रति बी0आर0सी0 रु0 5.000 हजार की दर से रु0 15.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

C-3.11 कन्ज्युमेबिल :– कन्ज्युमेबिल व्यय हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 15.000 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 6.000 हजार कुल रु0 21.000 हजार कार्ययोजना में रखा गया है।

C-4 जिला परियोजना कार्यालय –

C-4.3 किताबें (बुक्स) :– वर्ष 2004–05 में रु0 10.000 हजार कार्ययोजना में रखा गया है।

C-4.5 परामर्शी व्यय :– वर्ष 2004–05 में रु0 10.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

C-4.6 वेतन :– जिला परियोजना कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन मद हेतु वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में रु0 1234.123 हजार कार्ययोजना में रखा गया है।

C-4.8 टेलीफोन/फैक्स :– कार्यालय में टेलीफोन/फैक्स हेतु वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में कुल रु0 35.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

C-4.9 वाहन मरम्मत/पी0ओल0 :– कार्यालय के वाहन मरम्मत/पी0ओल0 मद हेतु वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में कुल रु0 90.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

C-4.10 उपकरण रखरखाव :– कार्यालय के उपकरण रखरखाव हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 20.000 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 10.000 हजार कुल रु0 30.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

C-4.11 यात्रा भत्ता :– कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता हेतु वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में कुल रु0 110.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

C-4.12 सेमिनार/कार्यशाला/बैठकें :– सेमिनार/कार्यशाला/बैठकें हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 30.000 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 15.000 हजार कुल रु0 45.000 हजार कार्ययोजना में रखा गया है।

C-4.13 वाहन किराया :– कार्यालय के वाहन किराया मद हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 20.000 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 10.000 हजार कुल रु0 30.000 हजार का प्रावधान कार्ययोजना में किया गया है।

C-4.15 जनपद स्तरीय प्रदर्शनी/मेला :– जनपद में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी/मेले हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 20.000 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 10.000 हजार कुल रु0 30.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

C-4.17 जनपद स्तरीय कन्वर्जेन्स/बैठक:– जनपद में होने वाली बैठकें हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 10.000 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 5.000 हजार कुल रु0 15.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

C-4.18 बजट निर्माण :– बजट निर्माण हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 10.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

C-4.20 आकस्मिक व्यय :– कार्यालय के आकस्मिक व्यय मद में वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में कुल रु0 50.000 हजार का प्राविधान कार्ययोजना में रखा गया है।

C-4.22 कार्यालय मरम्मत/रखरखाव :– कार्यालय मरम्मत/रखरखाव मद हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 20.000 हजार एवं वर्ष 2005–06 में रु0 10.000 हजार कुल रु0 30.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

C-4.23 प्रचार/प्रसार :– प्रचार–प्रसार हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 10.000 हजार कार्ययोजना में रखा गया है।

C-5 एम.आई.एस./शोध एवं मूल्यांकन – शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली (एम0आई0एस0) के अन्तर्गत विभिन्न मदों यथा– एम0आई0एस0 सैल फर्नीसिंग, प्रिंटिंग एवं सर्वे, उपकरण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, कन्ज्युमेबिल आदि हेतु वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में कुल रु0 120.000 हजार की धनराशि कार्ययोजना में प्रस्तावित की गई है।

C-6 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र –

C-6.2 एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का वेतन :– जनपद में कार्यरत कुल 35 समन्वयकों के वेतन हेतु वर्ष 2004–05 एवं 05–06 में कुल रु0 7560.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

C-6.4 किताबें क्रय हेतु :– जनपद में स्थापित 35 एन0पी0आर0सी0 केन्द्रों में किताबें क्रय करने हेतु वर्ष 2004–05 में प्रति एन0पी0आर0सी0 हेतु रु0 1.000 हजार की दर से कुल रु0 35.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

C-6.5 ऑडियो/वीडियो किराया :– 35 एन0पी0आर0सी0 हेतु ऑडियो वीडियो मद में वर्ष 2004–05 में रु0 600 की दर से कुल रु0 21 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

C-6.6 आकस्मिक व्यय :– आकस्मिक व्यय हेतु वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में कुल रु0 70.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

C-6.7 यात्रा भत्ता/बैठकें :– एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के यात्रा भत्ता एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जाने वाली बैठकों हेतु वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में कुल रु0 105.000 हजार कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है।

C-6.8 कार्यशाला :– एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यशाला/मेलों हेतु वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में कुल रु0 52.500 हजार कार्ययोजना में रखा गया है।

C-7 दूर शिक्षा – जनपद बागेश्वर में दूर शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु जैसे उपकरण, टेलीफोन/फैक्स, कान्फ्रेसिंग यात्रा भत्ता, वीडियो रिर्काडिंग प्रिटिंग, कार्यशाला एवं सेमिनार हेतु वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में कुल रु0 510.000 हजार कार्ययोजना में रखा गया है।

C-8 समेकित शिक्षा – समेकित शिक्षा के अन्तर्गत जनपद में विभिन्न मदों हेतु जैसे जनपद स्तरीय कार्यशाला/सर्वे, प्रशिक्षण डी0आर0जी0/बी0आर0जी0 आदि के लिए वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में कुल रु0 120.000 हजार का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रस्तावित कार्ययोजना में जनपद बागेश्वर हेतु कुल रु0 40653.608 (रु0 चार करोड़ छः लाख तिरपन हजार छः सौ आठ मात्र) की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

जनपद में 6-11 वय वर्ग के विद्यालय से वंचित छात्र/छात्राओं के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना

वर्ष 2003-04 की बालगणना के अनुसार जनपद में 6-11 वय वर्ग के - बागेश्वर में 11, कपकोट में 52, गरूड़ में 08 कुल 71 बालक/बालिकाएं विद्यालयों में प्रवेश लेने से वंचित हैं। इन बालक/बालिकाओं में से कुल बालक/बालिकाएं विकलांग भी हैं। जनपद का कपकोट विकासखण्ड पिछड़े (दूरस्थ) क्षेत्रों में विद्यालय दूर होने के कारण विद्यालयों में बालक/बालिकाओं की उपस्थिति कम पाई गई है।

चूंकि परियोजना द्वारा जनपद बागेश्वर में 69 विद्या केन्द्र स्वीकृत थे जिनमें से 50 विद्या केन्द्र वर्ष 2003-04 तक जनपद में संचालित हैं। शेष 19 विद्या केन्द्र वर्ष 2004-05 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्रस्तावित किये गये हैं। इन प्रस्तावित 19 विद्या केन्द्र खुलने से जनपद में विद्यालय न जाने वाले बालक/बालिकाओं को इन केन्द्रों में लाने का प्रयास किया जायेगा एवं नियमित उपस्थिति में वृद्धि होगी।

District- Bageshwar

Rs. In thousands

	Approved project cost			Achievment 2000 to 2004			Remaining plan against Perspective plan			Additionality Activity/plan			project period for 2004-05 to 05-06			revised project cost		
Head/ Sub heads/Activity	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.
A	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D
A1. Additional Class rooms	108	28.000	3024.000	108	28.000	3024.000	0		0.000	15	54.000	810.000	15	54.000	810.000	123		3834.000
Total			**3024.000**			3024.000	0.000	0.000	0.000			810.000			810.000			3834.000
A2. New Primary Schools							0		0.000						0.000			0.000
1. Construction	52	76.400	3972.800	32	76.40	2444.800	20		1528.000			-772.000	5	151.200	756.000			3200.800
2a. Salary of Para-Teachers (10 month)			0.000			1258.350	0		-1258.350			1558.350	10	3.000	300.000			1558.350
2b. Addl. Salary of Head Teacher			0.000			192.000	0		-192.000			525.000	37	0.500	333.000			525.000
3. Furniture/Fixture & Equip.	52	15.000	780.000	25	10.00	250.000	27		530.000			-480.000	5	10.000	50.000	30		300.000
Total			**4752.800**			**4145.150**			**607.650**			**831.350**			**1439.000**			**5584.150**
A3. Alternative Schools												0.000			0.000			0.000
(A) Shiksha Ghar.			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Honorarium			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(a) Worker	2904	0.600	1742.400			0.000	2904		1742.400			-1742.400			0.000			0.000
(b) Supervisor	282	1.000	282.000			0.000	282		282.000			-282.000			0.000			0.000
2. Educational materials/Equipment	76	2.500	190.000			0.000	76		190.000			-190.000			0.000			0.000
3. Text Books			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
4.TLM	318	1.650	524.700			0.000	318		524.700			-524.700			0.000			0.000
5. Workshop (2 days)												0.000			0.000			0.000
6. Training- Worker/Supervisor			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(a) Induction	84	2.100	176.400			0.000	84		176.400			-176.400			0.000			0.000
(b) Recurring	267	0.840	224.280			0.000	267		224.280			-224.280			0.000			0.000
7. Maintenance of Centres	318	2.000	636.000			0.000	318		636.000			-636.000			0.000			0.000
(B) Education Guarantee Scheme			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Honorarium			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(a) Worker (17 month)			0.000			1635.722	0		-1635.722			2808.722	69	1.000	1173.000			2808.722
(b) Supervisor			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
2. Educational materials			0.000			32.900	0		-32.900			77.550	19	23.500	44.650			77.550
3. Text Books/TLM (Per Year 1000 Rs.)			0.000			135.000	0		-135.000			273.000	69	1.000	138.000			273.000
4a. TLM + CONTINGENCY (Per Year .500 Rs.)			0.000			45.500	0		-45.500			114.500	69	0.500	69.000			114.500
4b. Workshop (2 days)			0.000			0.000	0		0.000			8.280	69	0.030	8.280			8.280
5. Training- Worker/Supervisor			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(a) Induction			0.000			0.000	0		0.000			34.960	19	1.840	34.960			34.960
(b) Recurring			0.000			0.000	0		0.000			119.000	50	1.000	119.000			119.000

District- Bageshwar

Rs. In thousands

Head/ Sub heads/Activity	Approved project cost			Achievment 2000 to 2004			Remaining plan against Perspective plan			Additionality Activity/plan			project period for 2004-05 to 05-06			revised project cost		
	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.
A	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D
6. Salary of Distt. Co-ordinator (AS)												384.000	1	16.000	384.000			384.000
(C) Bal Mitra/Mobile Teachers Prg.			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Honorarium of worker	960	0.600	576.000			0.000	960		576.000			-576.000			0.000			0.000
2. Educational Equipments			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
3. Bal Kit/TLM	240	0.110	26.400			0.000	240		26.400			-26.400			0.000			0.000
4. Training- Worker Induction	24	2.100	50.400			0.000	24		50.400			-50.400			0.000			0.000
- Recurring	80	0.840	67.200			0.000	80		67.200			-67.200			0.000			0.000
5. Special Award			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(D) Bridge Cource Camp			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Honorarium of worker			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
2.Bal Kit/TLM			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
3. Refresment (children)			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
4. Educational materials/Contigency			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
5. Training- Worker			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(E) Maktab/Madarsas (Strengthening)			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Honorarium			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(a) Worker/Maulvi ji			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(b) Supervisor			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
2. Educational materials			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
3. Text Books/TLM			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
4. Training- Worker/Supervisor			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(a) Induction			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(b) Recurring			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(F) Rishi Valley Education Centre			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Honorarium			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(a) Worker			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(b) Supervisor			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
2. Educational Equipments			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
3. Educational Kit			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
4. Training- Worker/Supervisor			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(a) Induction			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
(b) Recurring			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
Sub Total (A+B+C+D+E+F)			4495.780			1849.122			2646.658			-675.768			1970.890			3820.012

District- Bageshwar

Rs. In thousands

Head/ Sub heads/Activity	Approved project cost			Achievment 2000 to 2004			Remaining plan against Perspective plan			Additionality Activity/plan			project period for 2004-05 to 05-06			revised project cost		
	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.
A	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D
Total (A1+A2+A3)			12272.580			9018.272			3254.308			965.582			4219.890			13238.162
R1. Publicity & Ext. awareness Building/Mass Comminucation	676	1.000	676.000			0.000	676		676.000			-676.000			0.000			0.000
R2. News Letters			0.000			10.000	0		-10.000			20.000	1	10.000	10.000			20.000
R3. Const. of old Primary Schools	27	76.400	2062.800	27		2062.800	0		0.000	10	151.20	1512.000	10	151.200	1512.000			3574.800
R4. Toilets	300	10.000	3000.000	150	10.000	1500.000	150		1500.000			750.000	150	15.000	2250.000			3750.000
R5. Drinking Water	150	22.000	3300.000	[illegible]	22.000	3300.000	0		0.000			0.000			0.000			3300.000
R6. Repair & Maintenance (School needing repairs and General Maint.)			0.000	35	20.000	700.000	-35		-700.000			1400.000	35	20.000	700.000			1400.000
R7. Salary of Additional Para-Teacher (17 month)			5612.000	99		6727.864	-99		-1115.864			7976.864		3.000	6861.000			13588.864
R8. Promoting Girls Education			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Salary of Distt. Co-ordinator (G.Edu)	-											336.000	1	14.000	336.000			336.000
a. Cluster Mobilization/Awareness			0.000			3.000	0		-3.000			3.000			0.000			3.000
b. Trg of Elected Women of Gram Panchaya	3360	0.090	302.400			63.000	3360		239.400			-239.400			0.000			63.000
c. WMG Training			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
d. MTA/PTA Training	4930	0.090	443.700			42.800	4930		400.900			107.900	424	1.200	508.800			551.600
e. Maa-Beti Mela			0.000	9	3.800	34.200	-9		-34.200			40.200	5	1.200	6.000			40.200
f. Meena Campaigning & KALA ZATHA	10	20.000	200.000			132.050	10		67.950			-52.750	8	1.900	15.200			147.250
g. Workshop of VEC at NPRC/ MAMTA			0.000			37.680	0		-37.680			93.180	10	3.700	55.500			93.180
h. Printing			0.000			4.500	0		-4.500			4.500			0.000			4.500
R9.Bal Mela	1352	0.500	676.000			43.410	1352		632.590			-632.590			0.000			43.410
R10. Inovative Prg for NGOs			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
R11.Gender Sensitization Programme			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
I. TOT			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
II. NPRC/BRC/Teachers Training			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
R12.PRA			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Workshop			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
2. Exercise			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
R13.Health Checkup/Card			0.000			41.548	0		-41.548			41.548			0.000			41.548
R14. Honoraruim of			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
AEs	45	36.000	1620.000			198.300	45		1421.700			-1397.700	1		24.000			222.300

	Approved project cost			Achievment 2000 to 2004			Remaining plan against Perspective plan			Additionality Activity/plan			project period for 2004-05 to 05-06			revised project cost		
Head/ Sub heads/Activity	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.
A	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D
JEs						0.000	0		0.000			30.000	3		30.000			30.000
Total (R1-R15)			**17892.900**			**14901.152**			**2991.748**			**9316.752**			**12308.500**			**27209.652**
Q1(A). Opening of ECCE Centres						0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Civil Works	81	28.000	2268.000			0.000	81		2268.000			-2268.000			0.000			0.000
2. TLM	125	5.000	625.000			1062.500	125		-437.500			437.500			0.000			1062.500
3. Honorarium	4800	0.375	1687.500			1117.256	4800		570.244			678.506	185	0.375	1248.750			2366.006
5. Contingency			600.000			366.000			234.000			321.000	185	1.5	555.000			921.000
5. Training a. Inductive	125	2.100	262.500			350.576	125		-88.076			88.076			0.000			350.576
b. Recurring		0.560	134.750			0.000	0		134.750			235.250	185	1.000	370.000			370.000
6. Anganwari Worker's Training	1076	0.490	527.240			0.000	1076		527.240			-527.240			0.000			0.000
Q1(B). ECCE with EGS						0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Civil Works			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
2. TLM			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
3. Honorarium			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
4. Contengency			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
5. Training a. Inductive			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
b. Recurring			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
Total			**6104.990**			**2896.332**			**3208.658**			**-1034.908**			**2173.750**			**5070.082**
Q2. Training Programms						0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Salary of Distt.Coord(Trg.+Comm.)			0.000			0.000	0		0.000			720.000	2	15.000	720.000			720.000
2. DRG Meeting			0.000			6.625	0		-6.625			26.875	4	3.370	20.250			26.875
3. BRG Meeting (3 block x 4)			0.000			13.900	0		-13.900			65.200	3	2.850	51.300			65.200
4. BRG Training			0.000			28.341	0		-28.341			44.741	1	16.000	16.400			44.741
5. VEC Training	3380	0.090	304.200			733.650	3380		-429.450			556.170			126.720			860.370
6. Resource Person Training (TOT)			0.000			268.931	0		-268.931			303.681	1	34.750	34.750			303.681
7. HT Training (5 days)	2465	0.840	2070.600			0.000	2465		2070.600			-1827.350	14	17.350	243.250			243.250
8. In-service Tearcher Trg (per batch 30 tch)	5190	0.900	4671.000			1443.834	5190		3227.166			-2080.416	33	34.750	1146.750			2590.584
9. Para-Teacher Trg a. Inductive	104	2.100	218.400			339.857	104		-121.457			139.857	10	1.840	18.400			358.257
b. Recurring			0.000			0.000	0		0.000			126.900		0.900	126.900			126.900
10. BRC/NPRC Co-ordinator Selection			0.000			4.200	0		-4.200			4.200			0.000			4.200
11.BRC/NPRC Co-ordi/ABSA/SDI Trg (Capacity . Building) (5 days)	3	10.000	30.000			0.000	3		30.000			-12.625	1	17.350	17.375			17.375
12. ABSA/SDI Trg	40	0.840	33.600			0.000	40		33.600			-33.600			0.000			0.000

	Approved project cost			Achievment 2000 to 2004			Remaining plan against Perspective plan			Additionality Activity/plan			project period for 2004-05 to 05-06			revised project cost		
Head/ Sub heads/Activity	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.
A	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D
13.Civil work Trg (BRC/NPRC/VEC)			0.000			13.650	0		-13.650			29.400	3	5.250	15.750			29.400
14.Innovative Trg	60	0.840	50.40			0.000	60		50.400			-50.400			0.000			0.000
A. AT N P R C(per year 1000 Rs.)	165	0.800	132.000			0.000	165		132.000			-62.000	35	1.000	70.000			70.000
B. AT B R C (per BRC 3 PERSON.)	60	0.600	36.000			0.000	60		36.000			24.000	3	10.000	60.000			60.000
C. AT DISTRICT LEVEL			0.000			0.000	0		0.000			30.000	1	15.000	30.000			30.000
15. Visioning Workshop			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
16. Resource training for para tch.	232	1.400	324.800			0.000	232		324.800			-324.800			0.000			0.000
Total			7871.000			2852.988			5018.012			-2320.167			2697.845			5550.833
Q3. TLM						0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1a. School Improvement Fund	2140	2.000	4280.000			4166.000	2140		114.000			2154.000	567	2.000	2268.000			6434.000
1b. School Maintenance			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
2. Teachers / SHIKSHA MITRA GRANT	4936	0.500	2468.000			1293.500	4936		1174.500			-187.500	987	0.500	987.000			2280.500
3. Free Text Books(For 2 years)	1E+05	0.030	4117.920			3773.953	137264		343.967			2631.533		0.050	2975.500			6749.453
4. Book Bank	2157	0.300	647.000			0.000	2157		647.000			-647.000			0.000			0.000
Total			11512.920			9233.453			2279.467			3951.033			6230.500			15463.953
							0		0.000			0.000			0.000			0.000
Q4. Award to VEC (Per Block)	20	25.000	500.000			0.000	20		500.000			-500.000			0.000			0.000
						0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
Q5. School Award (Per Block)	40	5.000	200.000			0.000	40		200.000			-200.000			0.000			0.000
Sub Total (Q1-Q5)			26188.910			14982.773			11206.137			-104.042			11102.095			26084.868
C1. School mapping & Microplanning						0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Printing/Survey	10	5.000	50.000			58.230	10		-8.230			28.230			20.000			78.230
2. Seminar & Workshop	10	3.000	30.000			0.000	10		30.000			-30.000			0.000			0.000
3. Village Level Microplanning	10	15.000	150.000			20.000	10		130.000			-130.000			0.000			20.000
Total			230.000			78.230			151.770			-131.770			20.000			98.230
						0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
C2. Operationalising DIETs						0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Furniture & Fixture	1	50.000	50.000			99.893	1		-49.893			49.893			0.000			99.893
2a. Equipements	4	10.000	40.000			157.931	4		-117.931			117.931			0.000			157.931
2b. Computer/Hardware			0.000			114.970	0		-114.970			114.970			0.000			114.970
2c. Consumable			0.000			80.610	0		-80.610			115.610			35.000			115.610
3. Books			0.000			8.000	0		-8.000			18.000			10.000			18.000

Head/ Sub heads/Activity	Approved project cost			Achievment 2000 to 2004			Remaining plan against Perspective plan			Additionality Activity/plan			project period for 2004-05 to 05-06			revised project cost		
	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.
A	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D
4. Honorarium			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
5. Printing			0.000			59.801	0		-59.801			134.801			75.000			134.801
6. TA			100.000			235.344	0		-135.344			285.344			150.000			385.344
7. Maintenance			70.000			100.000	0		-30.000			30.000			0.000			100.000
8. Workshop/Seminar/Comptrg			120.000			102.855	0		17.145			22.855			40.000			142.855
9. Purchase of Vehicle	1	######	350.000			375.000	1		-25.000			25.000			0.000			375.000
10.POL			200.000			163.578	0		36.422			68.578			105.000			268.578
11. Action Research			200.000			68.535	0		131.465			-106.465			25.000			93.535
12.Wages of Driver	57	2.500	142.500			74.260	57		68.240			-23.240			45.000			119.260
13. Contingency			0.000			88.338	0		-88.338			133.338			45.000			133.338
Total			**1272.500**			**1729.115**			**-456.615**			**986.615**			**530.000**			**2259.115**
C3. BRC						0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Civil Construction	5	######	4000.000			2384.624	5		1615.376			-1615.376			0.000			2384.624
2a.Salary of Co-ordinator & Asstt. Cord.(18 month)	216	14.500	1827.000			6924.200	216		-5097.200			7081.700	9	12.250	1984.500			8908.700
2b.Wages of Choukidar(18 month)			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
3. Equipment & Furniture	5	######	750.000			480.000	5		270.000			-270.000			0.000			480.000
4. TA.	5	25.000	112.000			10.000	5		102.000			-102.000			0.000			10.000
a. Co-ordinator/Asstt. Co-ordinator			0.000			37.500	0		-37.500			60.000	3	5.000	22.500			60.000
b. ABSA/SDI			0.000			35.247	0		-35.247			57.747	3	5.000	22.500			57.747
5. Maintenance of Equip.	1	20.000	20.000			0.000	1		20.000			-20.000			0.000			0.000
6. Maintenance of Building			200.000			0.000	0		200.000			-185.000	3	5.000	15.000			15.000
7. Books	15	10.000	150.000			0.000	15		150.000			-135.000	3	5.000	15.000			15.000
8. BRC Exhibition/fair (teaching aids etc)	15	20.000	300.000			21.611	15		278.389			-248.389	3	5.000	30.000			51.611
9. Purchase of vehicle (Two Whel.)			0.000			73.227	0		-73.227			73.227			0.000			73.227
10.POL/Maintenance			0.000			0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
11.Consumable	20	5.000	100.000			45.000	20		55.000			-34.000	3	5.000	21.000			66.000
Total			**7459.000**			**10011.409**			**-2552.409**			**4662.909**			**2110.500**			**12121.909**
C4. DPO						0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Equipment		######	200.000			240.296	0		-40.296			40.296			0.000			240.296
2. Furniture & Fixture		######	120.000			120.000	0		0.000			0.000			0.000			120.000
3. Books		10.000	50.000			11.952	0		38.048			-28.048			10.000			21.952

	Approved project cost			Achievment 2000 to 2004			Remaining plan against Perspective plan			Additionality Activity/plan			project period for 2004-05 to 05-06			revised project cost		
Head/ Sub heads/Activity	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.
A	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D
4. Purchase of Vehicle		######	350.000			357.531	0		-7.531			7.531			0.000			357.531
5. Consultancy Charges		######	1532.000			0.250	0		1531.750			-1521.750			10.000			10.250
6. Salary of Staff		######	6555.000			5667.689	0		887.311			346.812			1234.123			6901.812
7. Consumable		50.000	250.000			219.936	0		30.064			-0.064			30.000			249.936
8. Telephone & Fax		30.000	150.000			101.317	0		48.683			-13.683			35.000			136.317
9. Vehicle Maintenance & POL		######	500.000			240.268	0		259.732			-169.732			90.000			330.268
10.Maintinance of Equip.		20.000	80.000			34.287	0		45.713			-15.713			30.000			64.287
11.TA		80.000	400.000			409.143	0		-9.143			119.143			110.000			519.143
12.Seminar & Workshop		40.000	180.000			97.963	0		82.037			-37.037			45.000			142.963
13.Hiring of Vehicles			0.000			74.559	0		-74.559			104.559			30.000			104.559
14.Civil Work Supervisory Consult			0.000				0		0.000			0.000			0.000			0.000
15. District level Exihibition & Fair		50.000	100.000			5.000	0		95.000			-65.000			30.000			35.000
16.Study Tours		50.000	200.000				0		200.000			-200.000			0.000			0.000
17.Distt. level Conversion workshop/Meetings		50.000	15.000			8.347	0		6.653			8.347			15.000			23.347
18. AWP & View workshop		15.000	75.000			57.164	0		17.836			-7.836			10.000			67.164
19. Research evaluation		30.000	120.000				0		120.000			-120.000			0.000			0.000
20. Contingency		20.000	90.000			164.522	0		-74.522			124.522			50.000			214.522
21. Innovative Fund			200.000			11.000	0		189.000			-189.000			0.000			11.000
22. Office repair & maintenance			0.000			129.710	0		-129.710			159.710			30.000			159.710
23. Publicity			0.000			126.476	0		-126.476			136.476			10.000			136.476
24. Motarcycle	10	50.000	500.000				10		500.000			-500.000			0.000			0.000
Total			**11667.000**			**8077.410**			**3589.590**			**-1820.467**			**1769.123**			**9846.533**
C5. MIS/Research & Evaluation							0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. MIS cell Furnishing		######	180.000			165.605	0		14.395			-14.395			0.000			165.605
2. EMIS/PMIS Printing & Servey		30.000	150.000			43.550	0		106.450			-56.450			50.000			93.550
3. MIS Equipment		######	250.000			11.000	0		239.000			-209.000			30.000			41.000
4. Computer System Training		50.000	50.000				0		50.000			-40.000			10.000			10.000
5. Maint of Equipment		30.000	120.000			5.000	0		115.000			-100.000			15.000			20.000
6. Exposer visits		30.000	150.000				0		150.000			-150.000			0.000			0.000
7. Consumable			0.000			24.352	0		-24.352			39.352			15.000			39.352
8. Sample Study			0.000				0		0.000			0.000			0.000			0.000
Total			**900.000**			**249.507**			**650.493**			**-530.493**			**120.000**			**369.507**
							0		0.000			0.000			0.000			0.000

District- Bageshwar

Rs. In thousands

	Approved project cost			Achievement 2000 to 2004			Remaining plan against Perspective plan			Additionality Activity/plan			project period for 2004-05 to 05-06			revised project cost		
Head/ Sub heads/Activity	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.	Phy. Tgt	Unit cost	Fin.
A	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D
C6. School Complex/(NPRC)							0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Construction	33	28.000	924.000	35	70.00	980.000	-2		-56.000			56.000			0.000			980.000
2. Salary of Co-ordinator(18 month)	1368	5.500	7524.000			10721.800	1368		-3197.800			10757.800	35	12.000	7560.000			18281.800
3. Equipments & Furniture	33	15.000	495.000			525.000	33		-30.000			30.000			0.000			525.000
4. Books for Library	33	5.000	165.000				33		165.000			-130.000	35	1.000	35.000			35.000
5. A/V Hiring Charge	132	0.800	105.600			28.000	132		77.600			-56.600	35	0.600	21.000			49.000
6. Contengency			0.000			70.000	0		-70.000			140.000	35	1.000	70.000			140.000
7. Monthly Meetings/TA	2	######	297.000			156.500	2		140.500			-35.500	35	2.000	105.000			261.500
8. Mela Workshop etc			0.000			35.000	0		-35.000			87.500	35	1.000	52.500			87.500
Total			9510.600			12516.300			-3005.700			10849.200			7843.500			20359.800
C7. Distance Education						0.000	0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Equipments & other		75.000	75.000			0.000	0		75.000			0.000			75.000			75.000
2. Telephone, Fax Bills & Maintenance	5	5.000	25.000			0.000	5		25.000			-10.000			15.000			15.000
3. Conferencing TA/DA			0.000			0.000	0		0.000			40.000			40.000			40.000
4. Video Recording & Packaging		######	800.000			25.000	0		775.000			-500.000			275.000			300.000
5. Printing materials	30		120.000			20.000	30		100.000			-40.000			60.000			80.000
6. Training workshop/Seminar			0.000				0		0.000			45.000			45.000			45.000
7. Maintenance		2.000	10.000				0		10.000			-10.000			0.000			0.000
Total			1030.000			45.000			985.000			-475.000			510.000			555.000
C8. Integratted Education							0		0.000			0.000			0.000			0.000
1. Distt. level workshop	2	50.000	100.000			44.275	2		55.725			4.275			60.000			104.275
2. Block level resource support	42	27.000	1134.000				42		1134.000			-1094.000			40.000			40.000
3. Servey through VEC	15	5.000	75.000				15		75.000			-65.000			10.000			10.000
4. Training of BRG & DRG	66	0.600	39.600			1.643	66		37.957			-27.957			10.000			11.643
5. Orientation of Teachers	1038	0.090	93.420				1038		93.420			-93.420			0.000			0.000
Total			1442.020			45.918			1396.102			-1276.102			120.000			165.918
Sub Total (C1-C8)			33511.120			32752.889			758.231			12264.892			13023.123			45776.012
Grand Total (A,R,Q,C)			89865.510			71655.086			18210.424			22443.184			40653.608			112308.694

Activitywise Expenditure

District - Bageshwar

S. No.	Activity	Amount	Percentage (%)
1	2	3	4
1	Civil Work	5328.000	13.11
2	Management	1769.123	4.35
3	Quality Improvement	33556.485	82.54
	Total	**40653.608**	**100.00**